कुरुक्षेत्र

अगस्त 1986 मूल्य : 1.50 रु०

मणिपुर के भित्ति चित्रों को नया जीवन

खामा एक बैल से लड़ते हुए। राजकुमारी थोई अपनी मित्रों के साथ देख रही हैं।

अभी हाल में इम्फाल में भित्ति चित्रकला पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी थी। भारत के विभिन्न भागों से आये विद्वानों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इनमें शैल कला संस्थान जयपुर के निदेशक डा. विष्णु श्रीधर बंक्काकर और मुथुआ संग्रहालय, इम्फाल के विशेषज्ञ शामिल थे। कार्यशाला में राज्य के कला और संस्कृति विभाग के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य चेरीराप और पंचाई महलों के भित्ति चित्रों को सुरक्षित रखने के उपाय सुझाना है।

यह महल 1905 में मणिपुर के महाराज चुराचन्द ने बनवाया था। इस महल के अधिकतर भित्ति चित्र (54), राजा **रवि वर्मा के शिष्य भाद्र ने बनाये हैं। इम्फाल के तत्कालीन** राजनीतिक अधिकारी मेजर मैक्सवैल ने भाद्र को प्रोत्साहन दिया और कलकत्ता स्थित पेंन्टिग स्कूल में उसके आगे प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की। भाद्र ने 113 चित्र तैयार किये। सन् 1927 में भाद्र का निधन हो गया था। भाद्र के चित्रों में पूर्व और भारतीयता का प्रभाव रहा।

भाद्र के चित्रों में खामा और थोई की प्रचलित कहानी को दर्शाने वाले चित्र सर्वोत्तम हैं। इस कहानी में दिखाया गया है कि गाँव में रहने वाला एक बहादुर युवक 'खामा' स्थानीय राजकुमारी 'थोई' से विवाह करने के लिए किस प्रकार कई बाधाओं पर विजय पाता है।

अब इन महलों में सेशन कोर्ट लगता है और यहाँ जनता बिना रोक-टोक के आ जा सकती है। इससे भित्ति चित्रों, चित्रों और कला की दृष्टि से उत्कृष्ट वस्तुओं को बहुत नुक्सान पहुँचा है।

अब इन महलों में विद्यमान कला के इस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम शुरू **हो गया है।**

शिक्षा एवं संस्कृति विभाग की देख-रेख में 1978 में पंजीकृत ट्रस्ट के माध्यम से भित्ति एवं कलाचित्रों को सुरक्षित रखने के लिए मुथुआ संग्रहालय हर सम्भव सहायता उपलब्ध करवा रहा है। इन कला वस्तुओं को साफ करने, मजबूत बनाने और सुरक्षित रखने का काम एक धीमी गति से चलने वाला काम है लेकिन यह शुरू किया जा चुका है।

आशा है कि काम के पूरा होने पर महल के इस कला खजाने को एक नया जीवन मिलेगा और यह मणिपुर और पूरे देश के कला प्रेमियों के लिए अच्छी घटना होगी। □

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 31	श्रावण-भाद्रपद 1908	अंक 10

इस अंक में — पृष्ठ संख्या

सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व — 2

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ग्रामीण छात्र — 5
राम सहाय मीणा

गंगा : धार्मिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण — 11
पूनम गन्दोत्रा

परिवार नियोजन एक अध्ययन — 14

ग्रामीण महिलाओं के लिए एक नया उद्योग-मछली पालन — 18
निर्मलकान्त ठाकुर एवं बालकृष्ण शर्मा

मृग तृष्णा — 20
हरि विश्नोई

कम्प्यूटर नियंत्रित बढ़िया सिंचाई — 24
नीलम गिरि

नवजागरण का नया प्रभात — 25
सुरेश पाण्डेय

लड़कियां जिनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है — 26
कमला मनकेकर

उपयोगिता के दर्पण में नीबू — 29
ललित शर्मा

जीव-पंछी (कविता) — 29
जनकवि बिहारी लाल हरित

बारानी खेती में लगे छोटे किसान उपेक्षित न रहें — 30
त्रिलोकीनाथ

श्रम एवं बैंक की मदद से सूखे खेत लहलहा उठे — आवरण पृष्ठ-3

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए ।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है ।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए ।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें ।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु.
वार्षिक चन्दा : 15 रु.

सहायक सम्पादक : गुरचरण लाल लूथरा
उपसम्पादक : घनश्याम मीणा
राकेश शर्मा

सहायक निदेशक (उत्पादन) : राम स्वरुप मुंजाल

आवरण चित्र एवं रंगीन (बीच के) चित्र } फोटो प्रभाग से साभार

सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व

26 जून 1986 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर विचार-गोष्ठी में प्रधानमंत्री का भाषण

शिक्षा राष्ट्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। शिक्षा देश की प्रगति का भी मेरुदंड है। उत्पादन में वृद्धि,बढ़ती आबादी की रोकथाम, सबके लिए स्वास्थ्य और स्वतंत्रता की आधारभूत भावना को पुष्ट करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार शिक्षा ही है। जर्मन सुधारक मार्टिन लूथर ने कहा था कि "किसी देश की समृद्धि इस पर निर्भर नहीं करती कि उसकी आय क्या है या उसकी सैन्य शक्ति कितनी है। यह निर्भर करती है उसके शिक्षित, प्रबुद्ध और चरित्रवान लोगों पर।" हमें भारत में विकास की प्रक्रिया पर भी इसी दृष्टि से विचार करना होगा।

किसी भी अन्य प्रणाली की तरह ही शिक्षा प्रणाली को भी निरंतर देखरेख और सुधार की आवश्यकता होती है। कोई भी प्रणाली सदैव एक सी नहीं रह सकती। उसको समय, विकास और प्रौद्योगिकी में होने वाली नई खोजों के साथ कदम मिलाकर चलना होता है। यही पहलू ऐसा है जिसके बारे में भारत में हम बहुत सचेत रहे हैं। अमरीका की शिक्षा प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से है और आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक साधन सम्पन्न है लेकिन वहां भी यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि यह प्रणाली वहां के लिए पर्याप्त है या नहीं। इन प्रश्नों का संबंध है विज्ञान, शिक्षा, शिक्षकों की योग्यता और गुण, छात्रों की रुचि तथा आधारभूत रूप से छात्रों की गुणात्मकता से। हमें स्वयं से केवल यही प्रश्न नहीं करना है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली यथास्थिति बनाये रखने में सक्षम है या नहीं बल्कि हमारी प्रणाली इतनी अच्छी होनी चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र में हम सर्वाधिक उन्नत देशों के बराबर आ सकें। पिछले एक वर्ष में तैयार की गयी प्रणाली में इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें डा. राधाकृष्णन और सी.वी. रमन जैसी विभूतियां दी हैं। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जो उनके लिए अच्छा था वही आज के भारत के लिए भी ठीक होगा। समय बदल गया है और उसके साथ विज्ञान तथा टैक्नोलोजी भी बदल गयी है। अपनी युवा पीढ़ी और अपनी युवावस्था में पर्याप्त शिक्षा के अवसर से वंचित रहने वाले लोगों को सर्वोत्तम शिक्षा देने के लिए हमें प्रत्येक उपलब्ध साधन का उपयोग करना होगा।

शिक्षा कुछ वर्गों या क्षेत्रों में सीमित नहीं रह सकती। यदि हमारे बीच केवल कुछ गिने चुने लोग ही बहुत ऊपर उठ जाते हैं तो इसको शिक्षा की सफलता नहीं माना जा सकता। वास्तविक आवश्यकता यह है कि आत्मविश्वास और कौशल की दृष्टि से हमारे पूरे समाज का बौद्धिक स्तर ऊपर उठे। नयी नीति से हम इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा करते हैं।

प्रत्येक विकासशील समाज में कुछ अंतर्निहित असमानताएं होती हैं। इनको शिक्षा द्वारा ही दूर किया जा सकता है क्योंकि शिक्षा को लोगों तक पहुंचाकर समानता के द्वार खोले जा सकते हैं, और प्रत्येक स्तर पर लोगों के दैनिक जीवन में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के स्तर में परिवर्तन लाया जा सकता है। समाज को नयी गतिशीलता प्रदान करने वाली **शिक्षा नीति अंधविश्वासों को समाप्त कर स्वतंत्रता की अनु**-भूति द्वारा एकता और सहिष्णुता के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का निर्माण करेगी। इस प्रकार का दृष्टिकोण कुछ वर्गों द्वारा अपनायी जाने वाली हिंसा और दूसरे तरीकों से हमारी सुरक्षा करेगा।

भारत में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे पुराने मूल्यों, चाहे वे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र या समाजवाद के हों या हमारी प्रभुसत्ता के हों, को सुदृढ़ करने वाली हो। लेकिन इस सबसे ऊपर यह पिछले कई हजार वर्षों से भारत में अंतर्निहित आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने की कुंजी होनी चाहिए। यह भारतीयता को बनाये रखने वाली होनी चाहिए। **एक ऐसी भौतिकवाद और उपयोगितावाद की बाढ़ के विरुद्ध** एक मोर्चा होनी चाहिए जिसे विश्व को विभिन्न शक्तियों एवं समाचार माध्यम द्वारा हमारे ऊपर थोपा जा रहा है।

हमें आशा है कि नई शिक्षा नीति से न केवल और अधिक शिक्षा की व्यवस्था ही होगी, बल्कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी भारी परिवर्तन होगा। हमें अपने समाज में लाभों से वंचित प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना है। हमें जनजाति क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर हमारे समाज के ऐसे वर्गों के लिए विशेष प्रयास करने हैं जो आज की आधुनिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। बीच में ही स्कूल छोड़ना गंभीर समस्याओं में से एक है तथा लोगों को बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए उन्हें कुछ सुविधा देना इस नीति का एक अंग है।

शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे देश के लिए ऐसे नागरिक तैयार करे जिनमें आत्मविश्वास हो, जो अधिक रचनात्मक कार्य कर सकें, अधिक योग्य हों तथा जिनकी प्रवृत्ति अधिक चिन्तन वाली हो। राबर्ट बेन वारेन ने कहा था "शिक्षा हमें यही नहीं सिखाती है कि हम अपनी जीविका कैसे कमाएं बल्कि यह सिखाती है कि हम कैसे जियें।" भारत में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है और अब जिस प्रणाली को हम लागू करना चाहते हैं उसके बीच यही अंतर हम लाना चाहते हैं।

आज बढ़ा चढ़ाकर यह कहा जा रहा है कि हमारी शिक्षा नीति का झुकाव विशिष्ट वर्ग की ओर है। लेकिन मैं इससे बिल्कुल उलटी बात कर रहा हूं। हमारी आज की शिक्षा हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशिष्ट श्रेणी की है। इससे क्या होता है? यह केवल उन लोगों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराती है जिनके पास न केवल पर्याप्त संसाधन है बल्कि **जिनके पास साधनों की प्रचुरता है। यदि आपके पास यह सब** नहीं है। यदि आप अपने बच्चे को प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दिलाने के लिए प्रतिवर्ष सात से आठ हजार रुपये की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो जो कुछ प्रणाली आपको मिलती है वह वास्तव में बहुत बुरी, असंगठित बल्कि उसे दयनीय कहा जाए तो ज्यादा सही है। **हमने अपने लिए जो दोहरे मानदंड स्थापित किए हैं उससे** अधिक आभिजात्य कुछ और नहीं हो सकता। अपनी नयी शिक्षानीति में हम इस दोहरे मानदंड को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और समाज के सबसे कमज़ोर एवं निर्धन वर्ग को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस नीति में श्रेष्ठता का जो एकमात्र तथ्य होगा वह छात्र की योग्यता एवं बुद्धिमता है, उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं। और मैं यह मानता हूं कि यदि हमें अपने समाज के सर्वोत्तम पक्ष को आगे लाना है तो हमें इस श्रेष्ठता को समाज में तैयार करना ही होगा।

इन नवोदय विद्यालयों में मुख्य रूप से शैशव अवस्था में बच्चों को देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर मुख्य रूप से बल दिया जाएगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर सम्पर्क रहे। बच्चे विभिन्न भाषाएं सीखेंगे। वे देश के विभिन्न भागों में अपने मित्र बनाएंगे। और ऐसा वास्तव में पहली बार होगा जबकि देश के विभिन्न भागों के छात्रावासों में विभिन्न वर्गों के छात्र साथ-साथ रहेंगे, बड़े होंगे और एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानने लगेंगे। यह कदाचित विद्यमान पारंपरिक, सामाजिक व वित्तीय सीमाओं को, जो कि हमारे समाज ने अपने चारों ओर बना रखी हैं, तोड़ने में एक बड़ा कदम साबित होगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद ने इस नई शिक्षा नीति का अनुमोदन कर दिया है। और अब वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इस पूरी प्रक्रिया में शायद नीति **तैयार करना सबसे आसान काम था। अब समयबद्ध कार्यक्रम में इसे** क्रियान्वित करने की चुनौती हमारे सामने है, न केवल सरकार बल्कि सार्वजनिक रूप से राष्ट्र इस कार्य की प्रगति पर नजर रख सकता है, हम आगामी कुछ महीनों में ही राष्ट्र के समक्ष प्रगति का ब्यौरा रखना चाहेंगे। हम देश के समक्ष वास्तविक स्थिति को रखना चाहेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार प्रगति **हो रही है, क्या-क्या कमियां रह गई हैं, क्या-क्या कठिनाइयां रही हैं और हमारी क्या-क्या सफलताएं व उपलब्धियां रही हैं।**

नई नीति के क्रियान्वयन में अधिक अधिकार देने, संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता तथा नौकरशाही को कम से कम स्तर पर रखने की आशा करते हैं। हमें आशा है कि हम अपने शिक्षा प्रतिष्ठानों में नयी जान फूंक देंगे। स्वायत्तशासी कालेज अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी विश्वविद्यालय प्रणाली अच्छी तरह से काम कर रही है किन्तु कभी-कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि यह कुछ संकीर्ण तथा अपने आप में सिमटी हुई है तथा वह बाहर देश के समक्ष उपस्थित समस्याओं को नहीं देख पा रही है जिसे कि उसे देखना चाहिए और समझना चाहिए। यह एक क्षेत्र है जिसे हम व्यापक करना चाहेंगे। महाविद्यालयों को सम्बद्ध किये जाने से एक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है तथा नये विचारों व नई भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होता है।

हम चाहेंगे कि अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं के बीच समुचित सम्पर्क रहे तथा कोशिश करेंगे कि इनका सम्पर्क सरकार व उद्योग से रहे ताकि संस्थाओं को सही साज-सामान उपलब्ध हो सके। इससे हम समस्याओं का उपयुक्त समाधान ढूंढ सकते हैं।

भारत में 12 करोड़ स्कूली बच्चे, 30 लाख कालेजों के छात्र और 20 लाख अध्यापक हैं तथा थोड़े से समय में इतनी बड़ी संख्या को सही दिशा देना तथा इसे शक्ति में बदलना आसान नहीं है। यद्यपि हमने यह कठिनाई महसूस की है तथा इसमें व्याप्त जड़त्व को हम यथासंभव कम समय में बदलना चाहेंगे। यही वह क्षेत्र है जिसमें यह संगोष्ठी एक ऐसी कार्य योजना तैयार करने में सहायता कर सकेगी जिसे हम राष्ट्र के

समक्ष रख सकें। यह निगरानी योजना परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों ही तरह की हो। कई बार निगरानी के गुणात्मक पहलू को अनदेखा कर दिया जाता है तथा हमारे पास संख्या व आंकड़े ही रह जाते हैं जो कार्य क्षेत्र में वास्तव में तब निरर्थक हो जाते हैं जब हम गुणवत्ता का मूल्यांकन करना चाहते हैं।

तीन पहलू हैं जिन पर विशेष रूप से बल दिया गया है और मैं उन पर दुबारा जोर देना चाहूंगा। पहला है "आपरेशन ब्लैक बोर्ड"। हमारी शिक्षा नीति में इसे भवन, फर्नीचर, शिक्षण उपकरण व खेल सुविधाओं का प्रतीक माना गया है।

प्रश्न केवल बच्चे के सर के उपर छत की व्यवस्था का या उसे प्रयोग के लिए अच्छे उपकरण देने भर का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आप एक बच्चे में कैसे दृष्टिकोण का विकास करते हैं। बच्चा यदि साफ सुथरे पर्यावरण का अभ्यस्त हो जाता है, वह स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करता है और यदि वह एक विशेष प्रकार का आचरण करता है तो वह भावी जीवन में भी उसी प्रकार का आचरण करता रहेगा। यदि आप स्कूल में इस प्रकार का वातावरण नहीं बनाते और यदि आप बच्चे को जीवन-यापन के तरीके में सुधार लाना नहीं **सिखाते तो वह बाद में भी जीवनयापन के तरीके में सुधार** करना नहीं सीख पायेगा चाहे उसकी कमाने की क्षमता कितनी ही क्यों न बढ़ जाये। अतः यह "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" बच्चे के चारों ओर खड़ा किया जाने का ढांचा मात्र ही नहीं है, बल्कि यह तो हमें बच्चे के मस्तिष्क में बनाना है ताकि वह भावी जीवन में भी इसे अपनाते हुए शेष समाज में भी प्रचलित कर सके। ऐसा न हो कि जब वह स्कूल से बाहर निकले तो इस समाज में खो जाये जैसा कि आजकल होता है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड का सम्भवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षकों की गुणवत्ता है। अतः सबसे पहले शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल देना होगा। पुराने समय में पारम्परिक रूप से शिक्षण को "विद्या दान" माना जाता था। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति में यह नहीं रहा है। यह प्रायः उन लोगों का रोजगार बन गया है जिन्हें कोई और रोजगार नहीं मिल पाता है। यदि हमें नयी शिक्षा नीति को सफल बनाना है तो यह प्रवृत्ति बदलनी होगी। शिक्षकों को समाज में फिर से सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए। यह केवल पैसे या उनको दिये जाने वाले वेतन से ही संभव नहीं होगा बल्कि समाज द्वारा शिक्षकों के प्रति अपनाये गये दृष्टिकोण से होगा।

दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष सभी के लिए शिक्षा है। हम 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लिए शत् प्रतिशत शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा का काम भी इसके साथ-साथ चल रहा है। जिस प्रजातांत्रिक प्रणाली, को हमने पिछले 38 वर्षों के दौरान विकसित किया है, उसका महत्वपूर्ण पक्ष सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था करना है। यदि हम सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाते तो इससे कई खतरे उत्पन्न हो जायेंगे जिनका लाभ कुछ विघटनकारी तत्व उठायेंगे।

"सार्वभौमिक-शिक्षा आज हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां एक नयी पीढ़ी उभर रही है। वह पीढ़ी जिसने स्वतंत्रता संघर्ष नहीं देखा, जिसने भारत के उपनिवेश स्वरूप को नहीं देखा और जो उन खतरों और गम्भीर स्थितियों की कल्पना भी नहीं कर सकती जिनसे कि भारत गुजरा है। इस पीढ़ी के लोग पश्चिम यूरोप को देखते हैं, जापान को देखते हैं, अमरीका को देखते हैं। ये लोग यह नहीं देखते हैं कि अफ्रीका में क्या हो रहा है। ये उन समस्याओं को नहीं देखते हैं जिनका सामना अभी भी कुछ देश कर रहे हैं। पुरानी पीढ़ी को गांधी जी, पंडित जी, दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों और बाद में इन्दिरा जी के राजनीतिक विचारों का लाभ मिलता रहा था। परन्तु नयी पीढ़ी को यह लाभ प्राप्त नहीं है। केवल सार्वभौमिक शिक्षा से ही हम इस पीढ़ी के लोगों में राष्ट्रवाद और वह प्रवृति जो पुरानी पीढ़ी में थी, ला सकते हैं। हमें लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि प्रायः महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है और उनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। हमें उनकी ओर अधिक ध्यान देना होगा **ताकि समाज का समुचित विकास होने तक सन्तुलन कायम हो सके। हमें महिलाओं को वे अधिकार देने होंगे, जिन अधिकारों** को समाज से प्राप्त करने की वे हकदार हैं।

तीसरे यह संचार और सूचना की नई प्रोद्योगिकियों का प्रश्न है। हमें जो जानकारी उपलब्ध है उसे इस तरह से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाया जाए कि यह सार्थक हो और इसकी गुणवत्ता भी कायम रहे। छात्रों को इसे निष्क्रिय भाव से नहीं अपनाना चाहिए जैसा कि आज हमारे अधिकतर स्कूलों में हो रहा है। हमें छात्रों को और अधिक चुस्त और प्रोत्साहक बनाना होगा। हमें उन्हें ज्ञान के प्रति जिज्ञासु बनाना होगा न कि केवल ऐसे छात्र जो अध्यापक द्वारा दी गई जानकारी से ही संतुष्ट हो जाएं। हमें उन्हें सही परिमाण में व्यावसायिक और उच्च शिक्षा, दोनों देनी होंगी।

हमें आशा है कि नई शिक्षा नीति से, शिक्षा और कामकाज के बीच नया सम्बन्ध स्थापित होगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व को समझा जाएगा तथा यह हमारी जनता की प्रतिभा के सौंदर्यबोध और नैतिक अंश पर अधिक बल देगी जो किसी भी विकासशील समाज के लिए आवश्यक है।

(शेष पृष्ठ 24 पर)

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ग्रामीण छात्र

राम सहाय मीणा

लम्बे समय से सारा राष्ट्र इस बहस में लगा था कि 'नई शिक्षा नीति' किस प्रकार की हो। इस बहस का मुद्दा राष्ट्र की प्रगति से जुड़ा हुआ है क्योंकि राष्ट्र के विकास में शिक्षा की प्रमुख भूमिका रहती है इसलिए यह एक ऐसा अहम मसला है जिस पर सीधी राय बना लेना आसान नहीं है। शायद इसी बात को महत्व देकर केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति घोषित करने में इतना समय लिया ताकि राष्ट्र के नागरिकों के विचार जाने जा सकें। नई शिक्षा नीति पर बहस 20 अप्रैल 1986 को तब समाप्त हुई जब सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सरकार द्वारा घोषणा के बाद फिर एक नई प्रकार की बहस शुरू है कि यह शिक्षा नीति समाज के किस वर्ग के हित में है और किस के अहित में। अधिकतर का विश्वास है कि यह शिक्षा नीति सुविधा सम्पन्न वर्ग के हित में है और प्रस्तावित नवोदय विद्यालय इसी वर्ग के बच्चों का ही पोषण और शिक्षण करेंगे। परन्तु दूसरी ओर सरकार का दावा इससे एकदम विपरीत है। बहरहाल हमें इस बहस में उलझने एवं इन मत-मतान्तरों का विश्लेषण करने से पूर्व यह जानना है कि यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार से है :—

शिक्षकों के स्तर को ऊंचा उठाना

शिक्षा का स्तर शिक्षकों के स्तर से ऊंचा नहीं हो सकता। यदि शिक्षकों का स्तर ऊंचा और अच्छा है तो शिक्षा का स्तर भी निर्विवाद रूप से ऊंचा होगा। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों का पारिश्रमिक और उनकी सेवा शर्तें उनकी शिक्षा के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी के अनुरूप की जायेंगी। लक्ष्य यह रखा गया है कि देशभर के शिक्षकों के वेतन में समानता हो तथा एक समान ही उनकी स्थिति हो।

शिक्षकों द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करने के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित की जायेगी जो खुली सूचना पर आधारित और भागीदारी से भरी होगी। क्योंकि विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रहती है कि वे आचरण शिक्षकों से सीखें परन्तु जब तक शिक्षकों का आचरण और नैतिक स्तर ऊंचा न हो तो विद्यार्थियों से ऊंचे स्तर के आचरण और नैतिकता की आशा नहीं की जा सकती। अतः यह तय किया गया है कि शिक्षकों के राष्ट्रीय संगठन सरकार के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय आचार संहिता तैयार करेंगे और उसके पालन की जिम्मेदारी भी लेंगे।

शिक्षकों की शिक्षा में भी परिवर्तन किया जायेगा। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए जिला इंस्टीट्यूट बनाये जायेंगे जिनमें सेवापूर्व तथा सेवारत पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। चुने हुए माध्यमिक शिक्षक कॉलेजों में पदोन्नत किए जाएंगे ताकि वे राज्य स्तरीय शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण परिषदों के काम में हाथ बंटा सकें।

शिक्षक शिक्षण की एक राष्ट्रीय परिषद् बनाई जाएगी और उसे साधन सुलभ कराए जाएंगे ताकि वह देशभर में शिक्षकों को तैयार करने वाली संस्थाओं को अधिमान्यता दे सकें और उनपर निगरानी रख सकें। विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों से भी इन संस्थाओं का तालमेल कायम किया जायेगा।

परीक्षा प्रणाली में सुधार

किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रणाली में परीक्षाओं का महत्व सर्वाधिक है। परन्तु आजकल विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर को सुधारने में परीक्षा हमेशा मदद नहीं देती है। इसलिए शिक्षा प्रणाली बदलने के साथ परीक्षा प्रणाली को भी बदलना आवश्यक है। परीक्षा प्रणाली में यह सुधार किया जायेगा कि अब नम्बरों के बजाये ग्रेड प्रणाली का उपयोग किया जायेगा। डिवीजन के स्थान पर अब ग्रेड दिये जायेंगे। माध्यमिक स्कूलों से ही सेमेस्टर प्रणाली शुरू की जायेगी। साल भर तक छात्रों का मूल्यांकन किया जायेगा। छात्रों में प्रचलित तोतारटन्त का महत्व घटाया जायेगा और छात्र के गैर किताबी विकास का भी मूल्यांकन होगा।

भविष्य में बाहरी परीक्षाओं का महत्व कम करके स्कूल कॉलेजों में व्यापक और निरन्तर मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जायेगा।

प्रशासन

केन्द्र और राज्यों के शिक्षा विभाग पूर्ववत् शिक्षा

परिदृश्य पर अपनी निगरानी रखेंगे और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् देश के शिक्षा परिदृश्य पर अपनी निगाह रखेगी और निश्चित करेगी कि कहां और क्या फेरबदल किए जाएं।

शिक्षा प्रबन्ध का काम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा (आई.ई.एस.) की स्थापना करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों से सलाह मशविरा करने के बाद इस सेवा की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे अपनी अलग से राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद् कायम करें या नहीं।

शिक्षा के आयोजनकर्ताओं, शिक्षा संस्थाओं के प्रिंसिपलों, शालाध्यक्षों आदि को प्रशिक्षित करने पर समुचित ध्यान दिया जायेगा। शिक्षा नियोजन एवं प्रबन्ध के लिए राज्य स्तर पर संस्थाएं बनाने का भी विचार है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर की पढ़ाई के लिए जिला शिक्षा बोर्ड बनाये जायेंगे। राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे इस ओर शीघ्र ध्यान देंगी। शालाध्यक्षों का चयन बहुत सावधानीपूर्वक किया जाएगा।

शिक्षा के जरिए की जाने वाली धंधेबाजी पर नियंत्रण

शिक्षा प्रसार के लिए गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले प्रयास का स्वागत किया जाएगा। परन्तु देखा गया है कि शिक्षा के जरिए धंधेबाजी की जाती रही है। अब इस प्रकार की जाने वाली धंधेबाजी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में भी धंधेबाजी बन्द की जायेगी साथ ही प्राइवेट प्रयास से इस किस्म की शिक्षा देने वाली संस्थाएं चलाने के लिये एक विकल्प ढूंढा जाएगा।

इंजीनियरिंग कॉलेजों का विकास अधिकाधिक बढ़ रहा है, उस पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी परिषद् को कानूनी अधिकार दिए जाएंगे, ताकि वह पूर्ण नियंत्रण रख सके और संस्था के कामकाज की जांच कर सके।

नवोदय विद्यालय

गरीब कुशाग्र बच्चों के लिए ऐसे स्कूलों की कमी महसूस की जाती रही है, जो उनकी योग्यता को उभार सकें। सम्पन्न परिवारों के कुशाग्र बच्चे तो अच्छे स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं परन्तु गरीब बच्चे नहीं। शिक्षा आयोग (1964-65) ने इसीलिए यह सिफारिश की थी कि कुछ स्कूलों को अग्रणी **संस्थाओं के रूप में विकसित करना चाहिए । लेकिन आज के** स्कूलों में किस स्कूल को बढ़िया स्कूल के रूप में विकसित करें, यह तय नहीं हो पाता। शिक्षकों के तबादले के कारण जो कुछ अच्छे स्कूल माने जाते हैं या कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए **कर्मठ शिक्षकों की वजह से अच्छे गिने जाते हैं, वे भी सदा के** लिए अच्छे या अग्रणी नहीं रह पाते। राज्य सरकारें पैसा नहीं दे पातीं। इन्हीं कमियों को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत यह निश्चित किया गया है कि नवोदय विद्यालय के नाम से बढ़िया स्कूल खोले जाएंगे, जहां छात्र रहेंगे एवं निःशुल्क पढ़ेंगे। ये नवोदय विद्यालय वर्तमान के केंद्रीय विद्यालयों से अलग होंगे। नवोदय विद्यालयों की स्थापना से देशभर के स्कूलों का माहौल सुधारने में मदद मिलेगी।

स्कूलों को सुविधाएं

(क) कम से कम दो बारहमासी कमरे

हरेक प्रकार के मौसम में उपयोग हो सकने वाले दो बड़े कमरों की सुविधा प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को न्यूनतम स्तर पर दी जायेगी। इन स्कूलों को श्याम पट्ट, नक्शे, चार्ट, खिलौने और पढ़ाई में काम आने वाली अन्य चीजें भी दी जाएंगी।

(ख) कम से कम दो शिक्षक

प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे और उनमें एक शिक्षक महिला होगी। आगे के लिए जितना संभव हो उतनी जल्दी ही हर कक्षा के पीछे एक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) ब्लैकबोर्ड अभियान

केंद्र सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए ब्लैकबोर्ड अभियान के नाम से एक अभियान चलाया है। यह अभियान प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। इसके अन्तर्गत भारी तादाद में शिक्षकों की भर्ती करनी होगी और उन्हें प्रशिक्षित करना होगा।

उच्च शिक्षा

हमारे देश में लगभग 150 विश्वविद्यालय और 5000 कॉलेज हैं। इस प्रकार उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाओं की इतनी कमी नहीं है। सर्वप्रथम जो काम हमें करना है वह यह है कि उच्च शिक्षा को अधः पतन् से बचाना है।

कॉलेज विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध होते हैं और इनकी संख्या बीसियों तक होती है। कभी-कभी तो यह संख्या 200 तक पहुँच जाती है। इतने कॉलेजों पर विश्वविद्यालय प्रशासन अच्छी तरह निगरानी नहीं रख पाते, इससे कॉलेज **और विश्वविद्यालय दोनों का नुकसान होता है । अतः अगले** दशक में यह कोशिश की जाएगी कि कॉलेज विश्वविद्यालय की संबद्धता से मुक्त होकर स्वायत्त कॉलेजों के रूप में पनपें,

जिनका विश्वविद्यालयों के साथ रिश्ता अधिक खुला और सृजनशील हो।

कॉलेजों को यह आजादी देकर अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक पांच वर्ष में हर शैक्षिक संस्था का शैक्षिक आडिट होगा ताकि साधनों का सदुपयोग हो सके।

राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के समन्वय का काम राज्यों द्वारा गठित उच्च शिक्षा परिषदें करेंगी। ये शिक्षा परिषदें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर शिक्षा के स्तर की निगरानी करेंगी। शिक्षा देने के प्रचलित तौर-तरीकों को बदला जाएगा और कैसेट, कम्प्यूटर, दृश्य-श्रव्य यंत्रों का उपयोग बढ़ाया जाएगा।

डिग्री और नौकरी का सम्बन्ध

जिस प्रकार नई शिक्षा नीति पर काफी विचार-विमर्श चला था उसी प्रकार डिग्री और नौकरी के सम्बन्ध पर भी काफी विचार-विमर्श हुआ है। डिग्री को नौकरी से अलग करने के पीछे कई कारण हैं। आजकल सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में चयन के लिए अलग से प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी हैं और कॉलेजों से प्राप्त डिग्री और डिवीजन का नौकरियों के लिए प्रायः उपयोग कम होता है। डिग्री का महत्व केवल यह रह गया है कि चयन-परीक्षाओं में सम्मिलित होने वालों की भीड़ को सीमित रखा जा सके।

कई नौकरियाँ ऐसी हैं जिनमें डिग्री का होना या न होना कोई महत्व नहीं रखता, उनमें नौकरी को डिग्री से अलग करने की नीति धीरे-धीरे और सोच-सोचकर लागू की जाएगी। इससे नौकरियों के लिए व्यवसायोन्मुखी पाठ्यक्रमों का महत्व बढ़ेगा और धीरे-धीरे डिग्री ग्रहण करने का महत्व घटता जाएगा।

अलग-अलग नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की योग्यता की परीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (नेशनल टैस्टिंग सर्विस) की स्थापना की जाएगी। इससे लाभ यह होगा कि सारे देश में एक-एक नौकरी के लिए समान प्रतिमान कायम हो सकेंगे।

शिक्षा पर व्यय

शिक्षा पर किए जाने वाला खर्च 1968 में तय की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्तर के अनुसार होगा। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि राष्ट्रीय आय की छह प्रतिशत धनराशि शिक्षा पर व्यय की जानी चाहिए। अब तक यह देखा गया है कि शिक्षा पर वास्तविक खर्च इस स्तर से बहुत कम है। अतः यह संकल्प किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय अस्तित्व और विकास की एक जरूरी शर्त शिक्षा पर राष्ट्र की कुल आय का छह प्रतिशत धन खर्च किया जाए।

बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक के उपाय

अक्सर यह देखा गया है कि विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह प्रवृत्ति ज्यादातर ग्रामीण परिवेश के छात्रों में अधिक पाई जाती है। छात्र पढ़ाई को अधबीच में छोड़कर स्कूल को तिलांजलि न दें, इस लक्ष्य को नई शिक्षा नीति उच्चतम प्राथमिकता और सुदृढ़ता के साथ पूरा करेगी। साथ ही साथ स्कूल के बाहर अनौपचारिक शिक्षा के साथ भी इस प्रयास का समन्वय होगा। यह काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

पहले से घोषित प्राथमिक स्तर पर फेल न करने की नीति जारी रहेगी। मूल्यांकन एकमुश्त न किया जाकर लगातार होता रहेगा।

उच्च शिक्षा और शोध का स्तर ऊँचा कायम रखना

भारत सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह शिक्षा में उच्च शिक्षा एवं शोध का उच्च स्तर कायम रखे। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत उच्च शिक्षा और शोध के स्तर को ऊँचा कायम रखने के लिए एक राष्ट्रीय शिखर संस्था की स्थापना की जाएगी, जो यह जिम्मेदारी निभायेगी।

खुला विश्वविद्यालय

खुले विश्वविद्यालय कायम किये जा चुके हैं, उनका और अधिक विस्तार किया जाएगा। इन विश्वविद्यालयों का लाभ यह है कि इनमें एक तो प्रवेश का झंझट खत्म हो जाएगा और दूसरे छात्र अपनी रफ्तार से पढ़ सकेगा। ये विश्वविद्यालय उन कामकाजी छात्रों की ज्ञान पिपासा पूरी करने में मदद देंगे, जिनमें उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा है परन्तु अपना धंधा छोड़कर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं ले सकते। खुले विश्वविद्यालय में रेडियो, टी.वी. जैसी आधुनिक संचार टैक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। उच्च शिक्षा को आम जनता तक पहुँचाने का सबसे सर्वोत्तम उपाय और साधन खुला विश्वविद्यालय ही है। जो लोग पहले कॉलेज शिक्षा नहीं ले पाए उन्हें अब मौका मिलेगा।

1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुले विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है।

व्यावसायिक शिक्षा पर बल

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत यह प्रस्ताव है कि 1990 तक दस प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम मिल जाएं और 1995 तक 25 प्रतिशत छात्र व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने लग जाएं।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत उच्चतर माध्यमिक

स्कूलों में होगी परन्तु आठवीं कक्षा के बाद भी वे शुरू किए जा सकते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि एक साल से लेकर तीन साल तक की हो सकती है।

व्यावसायिक शिक्षा का सम्बन्ध सीधा रोजगार से रहेगा। अतः रोजगार के बाजार में जैसे-जैसे संकेत मिलेंगे, उनके आधार पर व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों का विकास किया जाएगा। नवसाक्षरों, स्कूल छोड़ने वालों, महिलाओं आदि के लिए गैर-स्कूली व्यावसायिक कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

कितनी जरूरत है यह तो समय-समय पर तय होता रहेगा परन्तु शिक्षा पर खर्च की मात्रा भविष्य में 1968 में अनुशंसित स्तर से हर हालत में अधिक ही रहेगी।

अवसर की समानता

नई शिक्षा नीति में महिलाओं को अधिक शक्तिमान बनाने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों की शिक्षा प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए कई कदम प्रस्तावित हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों और अपंग बच्चों का भी नई शिक्षा नीति में विशेष उल्लेख है।

नैतिक मूल्य

नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को सामाजिक और नैतिक मूल्यों का एक सक्षम साधन बनाया जा सकता है ताकि समाज की आस्थाहीनता समाप्त हो सके।

भारतीय समाज बहुमुखी संस्कृतियों वाला है अतः शिक्षा के द्वारा छात्रों को जो संस्कार और मूल्य हम सिखाएं, उनकी अपील व्यापक होनी चाहिए। हम छात्रों में ऐसे मूल्य पैदा करें ताकि वे मूल्य लोगों को जोड़ें और एकता प्रदान करें। समाज में प्रचलित अंधविश्वास, जड़ता, हिंसा की भावना, धर्मांधता और भाग्यवाद की प्रवृत्ति का नाश करें। सनातन काल से चली आ रही हमारी राष्ट्रीय विरासत और विश्व दृष्टि को वे और मजबूती प्रदान करें।

विभिन्न भाषाओं के विकास के विषय में नई शिक्षा नीति के अनुसार 1968 की शिक्षा नीति का सिद्धान्त ही सही माना गया है। कहा गया है कि 1968 की शिक्षा नीति के भाषाओं के विकास से सम्बन्धित प्रतिमानों पर अब तक अमल नहीं हुआ है। अब उन पर अमल किया जाएगा।

राज्य और केंद्र

संविधान में संशोधन करके शिक्षा को केंद्र और राज्यों का संयुक्त दायित्व बना दिया गया है। शिक्षा संविधान में समवर्ती सूची में है। अतः केंद्र और राज्यों को एक नई भागीदारी अब शुरू करनी होगी।

जहां तक शिक्षा के प्रशासन का मामला है राज्य पहले की तरह प्रशासन करते रहेंगे लेकिन साथ ही केंद्र सरकार यह जिम्मेदारी निभायेगी कि शिक्षा के प्रतिमान देश की अखंडता को मजबूत करने वाले हों, शिक्षा का स्तर सब जगह एक जैसा हो, शिक्षक योग्य हों, शोध ढंग का हो और शिक्षा के परिणाम उच्च और उजले हों। समवर्ती सूची का मतलब एक नये किस्म की भागीदारी है जो बहुत चुनौती भरी होगी।

पाठ्यक्रम

नई शिक्षा नीति के अनुसार आगामी वर्षों में यह कोशिश की जाएगी कि पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा हो, तीन वर्ष माध्यमिक स्कूल में बीतें और दो साल हाई स्कूल में। दस जमा दो जमा तीन का शिक्षा ढांचा अब देश के हर भाग में अंगीकार हो चुका है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ्यक्रम के एक राष्ट्रीय ढाँचे पर आधारित होगी। पाठ्यक्रम में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सूत्र, समान सांस्कृतिक विरासत आदि पर बल दिया जाएगा।

समस्त राष्ट्र में एक सम्पर्क भाषा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रचुर अनुवाद की व्यवस्था होगी और बहुभाषीय शब्द कोष बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में समरूपता लाई जाएगी ताकि प्रत्येक देशवासी एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाकर भी बिना किसी परेशानी के पढ़ सके और पढ़ा सके। विश्वविद्यालयों का स्तर निर्धारित किया जाएगा।

खेल-कूद

छात्र का जितना बौद्धिक विकास आवश्यक है, उतना ही शारीरिक विकास। खेल कूद स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को पाठ्यक्रम का आवश्यक तत्व बनाया गया है। नीति में उल्लेख है कि खेल के मैदान, सामान, कोच और शारीरिक शिक्षा के उपकरणों के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास किया जाएगा। शहरों में खेल के खुले मैदान आरक्षित किए जाएंगे। यदि आवश्यक समझा गया तो इसके लिये कानून बनाया जाएगा।

योग

इस बात का प्रयास किया जाएगा कि सभी स्कूलों में योग की शिक्षा प्रदान करने की सुविधा हो। शिक्षकों के प्रशिक्षण-स्कूलों में भी योग की पढ़ाई होगी, ताकि प्रशिक्षित शिक्षक बाद में छात्रों को योग सिखा सकें।

ग्रामीण छात्रों के शिक्षा स्तर में सुधार के प्रयास

आज के प्रतियोगी युग में यह एक मुख्य समस्या है कि ग्रामीण छात्रों को कैसे शहरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के स्तर पर लाया जाए, जहां उन्हें पढ़ने और सीखने की वे सब सुविधाएं होती हैं, जिनका ग्रामीण छात्रों के लिये नितान्त अभाव होता है। ग्रामीण परिवेश के स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई

सम्बन्धी सभी सुविधाओं का अभाव तो रहता ही है साथ ही स्कूलों के अध्यापक भी अपना पूरा ध्यान छात्रों की पढ़ाई की ओर नहीं देते। कई अध्यापक नौकरी के साथ-साथ अपना निजी व्यवसाय करते रहते हैं इस कारण छात्रों की पढ़ाई से ज्यादा महत्व अपने व्यवसाय को देते हैं और अधिकाधिक समय वे स्वयं के कार्यों में ही लगाते हैं। कई अध्यापक स्वयं का कोई व्यवसाय तो नहीं करते परन्तु वे छात्रों को ट्यूशन के लिए मजबूर करने के लिये स्कूल में अच्छी तरह नहीं पढ़ाते। इस स्थिति में कुछ पैसे वाले परिवारों के बच्चे तो ट्यूशन करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि गरीब बच्चे पिछड़ते जाते हैं। चूंकि गांवों में अधिकतर बच्चे किसान परिवारों में होते हैं जो सामान्यतः गरीब ही होते हैं।

इस प्रकार शहरी और ग्रामीण छात्रों के शिक्षा स्तर में एक गहरी खाई पड़ जाती है। ग्रामीण छात्र चूंकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं जो आगे चलकर या तो शहरी प्रभाव में आकर बिगड़ जाते हैं या हमेशा अपने को शहरी छात्रों की तुलना में हीन समझने लगते हैं और इस प्रकार आई हीनता की भावना उन्हें दब्बू बना देती है जिससे वे सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले साक्षात्कार में अपनी नैसर्गिक झेंप के कारण असफल रहते हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इस बात का भरसक प्रयास किया जाएगा कि ग्रामीण छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने की वे सभी सुविधाएं दी जाएं जो शहरी छात्रों को मिलती हैं। नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित नवोदय विद्यालयों को आलोचकों ने "सुविधा-सम्पन्न परिवारों के बच्चों के लिए स्थापित" स्कूल कहकर, शिक्षा नीति की आलोचना की है। जैसा कि हमेशा होता है, आलोचना एवं प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी वक्तव्यों और प्रेस नोटों में ग्रामीण छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा सुविधाओं का स्पष्ट उल्लेख है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत ग्रामीण छात्रों के लिए प्रदान की गई शिक्षा सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत ग्रामीण छात्रों की शिक्षा पर दिये जाने वाले महत्व में सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय किया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में पांच ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। इन पर 50 करोड़ रु. की लागत आने का अनुमान है। इन विश्वविद्यालयों के अलावा ग्रामीण समस्याओं से सम्बन्धित पांच संस्थाओं को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा।

अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इनकी एक मोटी रूपरेखा तैयार की है। शिक्षा विभाग जल्दी ही एक कार्यकारी दल बना रहा है जो इन विश्वविद्यालयों का ठोस स्वरूप निर्धारित करेगा।

ये विश्वविद्यालय शहरी विश्वविद्यालयों से कई मामलों में भिन्न होंगे। इनमें प्राथमिक, सैकेंडरी तथा उच्च शिक्षा की एक साथ व्यवस्था होगी। इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सृजनात्मक कार्य एक साथ चलेंगे। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का मूल उद्देश्य यह है कि सारा ज्ञान व्यावहारिक होना चाहिए। उत्पादन कार्य में भागीदारी भी ज्ञान का एक प्रमुख अंग है एवं समाज में प्राप्त सभी स्रोत ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं।

इन विश्वविद्यालयों में प्राथमिक और सैकेंडरी स्तर की शिक्षा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार दी जाएगी। केंद्रीय परिषद् को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वह देश में इस समय कार्यरत बुनियादी शिक्षा संस्थानों का व्यापक सर्वे करें। इसके आधार पर जो संस्थाएं उपयुक्त पाई जाएं, उन्हें वित्तीय और अन्य आवश्यक सुविधाएं एवं सहायता देकर आगे बढ़ाया जाए।

इन ग्रामीण विश्वविद्यालयों, संस्थाओं की देखरेख का काम एक केंद्रीय परिषद् को सौंपे जाने का प्रस्ताव है। यह परिषद इनकी स्थापना और सही तरीके से इनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी। यह परिषद् वर्तमान में सक्रिय ग्रामीण संस्थाओं का सर्वे करके देखेगी कि इनमें से किनका आगे विकास किया जा सकता है। इन विश्वविद्यालयों का वित्त प्रबन्ध भी यही केंद्रीय परिषद् देखेगी।

इन विश्वविद्यालयों के लिए सारी बुनियादी सुविधाएं केंद्र सरकार जुटाएगी। केंद्र सरकार ही भवन, वाचनालय और उत्पादन केंद्र बनाएगी, कर्मचारियों की नियुक्ति का काम भी केंद्र सरकार ही करेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार की इस योजना के अन्तर्गत स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना किए जाने का भी प्रस्ताव है। सातवीं योजना में 6.25 करोड़ रुपये की लागत से इस प्रकार के 25 स्वायत्त महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। ये स्वायत्त महाविद्यालय स्वयं ही डिग्री प्रदान किया करेंगे।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, जो ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने की योजना है, वह एक दम नई नहीं है। 1948-49 में बने प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भी देश में ग्रामीण स्कूल और विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की थी। 1955 में ग्रामीण उच्च शिक्षा के बारे में

नियुक्त एक समिति ने ग्रामीण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। 1959 में नियुक्त ग्रामीण शिक्षा समिति एवं 1970 एवं 1980 में नियुक्त अन्य समितियों ने भी इसी प्रकार के सुझाव दिए थे परन्तु पहली बार इस पर अमल होना तय हुआ है।

नवोदय विद्यालयों में तीन चौथाई ग्रामीण छात्रों को प्रवेश

नई शिक्षा नीति की सबसे ज्यादा यह कह कर आलोचना की गई है कि प्रस्तावित नवोदय विद्यालयों में भेदभाव बरता जाएगा और उनमें सुविधा सम्पन्न परिवारों के बच्चों को आश्रय दिया जाएगा। इस प्रकार से नवोदय विद्यालय सरकारी पब्लिक स्कूल साबित होंगे।

इस आलोचना को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने एक नोट जारी किया है। नोट के जरिये कहा गया है कि नवोदय विद्यालय मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए होंगे जिनमें शहरों के केवल एक चौथाई बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा। नोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन विद्यालयों में मुख्य रूप से गांवों के प्रतिभावान छात्रों को अच्छी आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यालयों में प्रवेश देते समय छात्रों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और सबको रहने-खाने की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। पोशाक, लेखन सामग्री, घर से आने जाने का रेल,बस किराया भी सरकार वहन करेगी।

इन विद्यालयों का एक उद्देश्य लड़कियों में शिक्षा का प्रचार करना भी है। इनमें छात्राओं के लिए एक तिहाई स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे। इन सबका उद्देश्य स्त्री शिक्षा को अधिकाधिक प्रोत्साहन देना है।

नवोदय विद्यालयों के तीन उद्देश्य प्रमुख होंगे। प्रथमतः राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता को बढ़ाना, द्वितीय त्रिभाषा फार्मूले को तेजी से लागू करना और तृतीय प्रतिभावान छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूर्ण अवसर प्रदान करना।

सातवीं योजना तक हर जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित कर दिये जाने का संकल्प है। इन विद्यालयों में पांचवीं कक्षा से शिक्षा दी जाएगी और चौथी कक्षा पास हरेक छात्र इसकी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। प्रवेश परीक्षा लेने का कार्य राष्ट्रीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) करेगी। इस परीक्षा को इस ढंग से आयोजित किया जाएगा कि ग्रामीण स्कूलों के प्रतिभावान छात्र शहरी छात्रों के मुकाबले में मात न खाएं।

पिछड़ी और आदिम जातियों के छात्रों का इनमें आरक्षण रहेगा। आरक्षण उस जिले में इन जातियों के अनुपात के अनुसार होगा। परन्तु इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि किसी भी जिले के स्कूल में राष्ट्रीय औसत से कम आरक्षण इन जातियों के छात्रों का न रहे। यदि इनमें एक जाति के बच्चे कम होंगे तो रिक्त स्थान की पूर्ति दूसरी जाति के बच्चों से की जाएगी। पिछड़ी और जनजातियों के बच्चों को उचित संख्या में प्रवेश दिये जाने के लिए परीक्षा पद्धति में भी कुछ सुधार किए जाएंगे।

नवोदय विद्यालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजूकेशन से सम्बद्ध होंगे। इनमें सभी छात्रों के लिए होस्टल की सुविधा होगी। पर्याप्त संख्या में प्रयोगशालाएं होंगी। इन स्कूलों की सभी कक्षाओं में रेडियो, टी.वी., माइक्रो कम्प्यूटर की मदद से शिक्षा प्रदान की जाएगी।

इन विद्यालयों में विज्ञान, कला, वाणिज्य तथा रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जाएगी। इनमें श्रम की महत्ता तथा पर्यावरण के प्रति जागरुकता पैदा करने वाले कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

जहां तक संभव होगा, ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे ।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले नवोदय विद्यालयों में छठी या सातवीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, साथ ही साथ उन्हें हिन्दी एवं अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जाएगी। इन कक्षाओं के बाद सभी नवोदय विद्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दी जाएगी ।

इन विद्यालयों के 20 प्रतिशत छात्रों को दूसरे भाषायी क्षेत्र में भी भेजा जाएगा। हिन्दी भाषी छात्र गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में तथा गैर हिन्दी भाषी छात्र हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जाएंगे। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के नवोदय विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में वह भाषा पढ़ाई जाएगी,जिस भाषा के 20 प्रतिशत छात्र वहां पढ़ने आएंगे और यह तीसरी भाषा अनिवार्य होगी। □

64-एफ
पाकेट-I
मयूर विहार, दिल्ली-91

गंगा : धार्मिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण

पूनम गन्दोत्रा

विष्णुपदी, भागीरथी तथा जाहनवी जैसे नामों से जानी जाने वाली गंगा कोटि-कोटि भारतीयों के लिए माता समान है। ऐसा कहा गया है कि:

"गायन्ति देवाः किल गीतकानि,
धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे"

अर्थात् स्वर्गलोक में देवगण यह गीत गाते हैं कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं। कहा जाता है कि **रामायण में त्रिपथगा नाम से जानी जाने वाली गंगा, भगवान विष्णु के चरण से निकलीं, ब्रह्मा के कमण्डल में रहीं व शिव की जटा से प्रवाहित हुई। इसलिए इसको 'सुरसरि' भी पुकारा जाता है।** भागीरथ की तपस्या से यह पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। युगों-युगों से हमारी सभ्यता व संस्कृति को पल्लवित करने वाली गंगा का उदगम हिमालय की हिमाच्छादित गंगोत्री शिखर से होता है। **गंगोत्री से उतर कर लगभग एक सौ शहरों व कस्बों से होती** हुई 2,225 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी के गंगा सागर में मिल जाती हैं। पं० नेहरु के अनुसार, "गंगा मेरे लिए पुरातन भारत की शानदार यादगार और प्रतीक है जो वर्तमान में बहती हुई भविष्य में महासमुद्र में निरतर प्रवाहित होती रहेगी।"

आध्यात्मिक रूप में गंगा जितनी पवित्र, निर्मल, स्वच्छ व पतितपावनी है, भौतिक रूप से भी उसे स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। यह सत्य है कि गंगा में शुद्धिकरण की अद्भुत क्षमता है। कुछ समय पहले ही युनेस्को के अन्तर्गत आये एक वैज्ञानिक दल ने हरिद्वार के निकट गंगा के पानी का परीक्षण करके यह बताया कि जिस स्थान पर अस्थियों का प्रवाह किया **जाता है वहीं कुछ फुट नीचे का जल पूर्णतः शुद्ध है। ब्रिटिश पत्रिका "गुड हैल्थ" के अनुसार जब टेम्स व गंगा नदी के जल को रखा गया तो कुछ समय पश्चात् पाया गया कि टेम्स नदी का पानी दूषित हो गया एवम् गंगा जल पूर्णतः शुद्ध था। लेकिन आज गंगा की भी सफाई की आवश्यकता है।**

प्रदूषण के प्रमुख कारण

गंगा के पूरे प्रवाह क्षेत्र में हजारों लोग स्नान करते हैं। गंगा का जल मुख्यतः सिचांई, औद्योगिक व घरेलू कार्यों में उपयोग किया जाता है। आठ राज्यों में प्रवाहित होने वाली गंगा के तट पर कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। अनेक धार्मिक पर्वों, विशेषकर कुम्भ के सुअवसर पर हरिद्वार व इलाहाबाद में लाखों लोग आते हैं। गंगा के किनारे बसे कई शहरों व कस्बों में विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण सामग्री सीधे गंगा में डाली जाती है। गंगा में प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं—गंगा में नहाना, शवों, अस्थियों व राख अथवा बिना जले या अधजले मुर्दे जल में बहाना, शहरों में जल-मल शोधन संयंत्र न होने के कारण 100 से अधिक शहरों व कस्बों का गंदा व दूषित जल नालों द्वारा गंगा में पड़ना तथा कारखानों व फैक्ट्रियों की गंदगी का सीधे गंगा जल में मिलना। अधिकतम फैक्ट्रियां जो अपनी गंदगी गंगा में बहाती हैं उनके पास अपने कचरे के शोधन की कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं।

गंगा के दूषित होने की इस भयानक स्थिति ने सरकार को विवश कर दिया है कि गंगा, जिसका नाम ही भारतीयों के लिए पवित्रता का परिचायक है, को प्रदूषण से बचाया जाए व फिर से इसकी पवित्र, पतितपावनी व भव्य स्थिति को लाया जाए। सातवीं योजना अवधि में विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग ने 240 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सरकार ने केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना भी की है।

कार्य योजना

कार्य योजना का उद्देश्य जल-मल शोधन संयंत्र लगाकर गंगा में गिरने वाली गंदगी को रोकना है। इन संयंत्रों द्वारा न केवल प्रदूषण से संरक्षण हो सकेगा बल्कि शुद्धीकरण प्रक्रम के दौरान ठोस पदार्थों को जल-मल से पृथक कर डाइजेस्टर की सहायता से मिथेन गैस, खाद आदि उत्पन्न किये जा सकेंगे। मिथेन गैस पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम होगी जो संबद्ध संयंत्रों को सदा चलने की स्थिति में ही रखेगी। तरल गंदगी को इस संयंत्र में जैविक ऐरेटर से गुजारा जाता है जहां अन्य ठोस पदार्थ उससे अलग हो जाते हैं व जल खेती की सिंचाई हेतु उपलब्ध हो जाता है।

अब तक अधिकांश खेती की भूमि में जल-मल बिना शुद्धीकरण के सीधा डाल दिया जाता है। इसमें आशंका नहीं कि इससे फसलों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है लेकिन इस तथ्य को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि शोधन रहित जल-मल बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कई रासायनिक पदार्थ हमारी सब्जियों को इतना दूषित कर देते हैं कि उबालने से भी इन्हें शुद्ध नहीं किया जा सकता।

अमृत से ज़हर तक

प्रकृति ने जल, आक्सीजन संतुलन बनाया है। मनुष्य अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए प्रकृति के इस संतुलन पर कृत्रिम प्रहार करता है। जल जो हाइड्रोजन व आक्सीजन से बना यौगिक है, जीवन हेतु आक्सीजन प्रदान करता है। प्रदूषण रहित जल में आक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुली रहती है। दिन में सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे भी जल में घुली आक्सीजन की मात्रा को **बढ़ाने में सहायक होते हैं।**

आज जब जनसंख्या के साथ-साथ औद्योगिक उन्नति भी हुई है, विडम्बना यह रही है कि हमारी नदियां गंदे नालों व नहरों की प्रारुप भी बन गई हैं। जब कोई कचरा व गंदगी नदी में गिरती है तो नदी में दो प्रकार के जीवाणु आ जाते हैं। पहले 'ऐरोबस' जो आक्सीजन से जुड़े रह कर पानी की ऊपरी परतों में जमा होने लगते हैं और दूसरे 'एनेरोबस' जिन्हें आक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती व वे पानी की निचली सतहों में रहते हैं। कचरे के कतरों पर इन जीवाणुओं का हमला होता हैं और वे उनको सरल तत्वों में बदल देते हैं। जितना अधिक कचरा होगा 'ऐरोबस' उतनी ही अधिक मात्रा में आक्सीजन की खपत करेंगे। नदी में उपस्थित शैवालों द्वारा आक्सीजन की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। शैवाल के अतिरिक्त पानी में अन्य जीव **यथा प्रोटोजोआ** भी उपस्थित रहते हैं जो कचरे में उपस्थित **रोगजन्य** जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। रोगकारी तत्वों को **नष्ट करने** की प्राकृतिक क्रिया ही गंगा की अद्भुत क्षमता है।

लेकिन आज गंगाजल में गंदगी की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि 'ऐरोबस' व प्रोटोजोआ को पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन नहीं मिल पाती और वे नष्ट होने लगते हैं। जल की ऊपरी सतहों में आक्सीजन की कमी से नीचे की परतों के एनेरोबस ऊपर आना प्रारंभ कर देते हैं। एनेरोबस की जल-मल व कचरे से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो गंधक से मिल कर सड़न व बदबू युक्त हाइड्रोजन **सल्फाइड गैस बनाती है। इससे पानी गहरेपन की अनुभूति देता** है और सूर्य का प्रकाश शैवालों तक नहीं पहुंच पाता। इससे नदी में उपस्थित जलचर यथा मछली आदि भी नष्ट होने लगते हैं और जल भी प्रयोग योग्य न रह, जहर समान हो जाता है। यदि हम पवित्र गंगाजल में गंदगी के गिराने पर रोक लगा दें तो भी प्रदूषण 75 प्रतिशत कम हो सकता है।

प्रदूषण का मापन

प्रदूषण को विभिन्न प्रकार से मापा जा सकता है। कचरे में कुछ पदार्थ ठोस, कुछ घुलनशील व कुछ निलम्बित अवस्था में पाये जाते हैं। विभिन्न उद्योगों द्वारा उदाहरणतः कपड़ा उद्योग द्वारा निष्कासित गंगा जल अत्यधिक गर्म व क्षारीय होता है। खाद फैक्ट्रियों द्वारा फेंके जल में अमोनिया व नाइट्रेट उपस्थित रहते **हैं।** प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक अन्य उद्योग भी हैं जैसे डी.डी.टी. की फैक्ट्रियां, चमड़ा व कागज उद्योग। निलम्बित ठोस पदार्थों में धूल, मिट्टी, तांबा, जस्ता, कांसा, फिनोल व कई कीटनाशक व कवकनाशक पदार्थ होते हैं।

उपरोक्त सभी पदार्थों के संपर्क में आने वाले जीवाणु, हैं– 'एशीरीशया कोलाई', जो रोगजन्य नहीं होते बल्कि **इनकी उपस्थिति से जल में पड़ी गंदगी का अनुमान लगाया जा** सकता है।

ऐरोबस व प्रोटोजोआ पानी में घुली आक्सीजन ग्रहण करते हैं जिसे "बायोलोजीकल आक्सीजन डिमांड" (बी० ओ० डी०) कहते हैं, जो आक्सीजन इन कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक तत्वों में परिवर्तित करती है उसे सी० ओ० डी० अथवा 'कैमिकल आक्सीजन डिमांड' कहते हैं। जब जल में घुली आक्सीजन 'डिजोल्वड आक्सीजन (डी० ओ०) की मात्रा बी० ओ० डी० व सी० ओ० डी० से बहुत कम हो जाती है, तब नदी का जल दूषित कहलाता है। नदी के दूषित होने को उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अर्थात जल की अम्लीयता, रेडियो धर्मिता, क्लोराइड, सल्फेट व नाइट्रोजन तथा धातुओं की सांद्रता द्वारा भी दर्शाया जाता है। (सारणी 1 व 2) कानपुर में इनकी सांद्रता 18 प्रतिशत, इलाहाबाद में 4 प्रतिशत व वाराणसी में 5 प्रतिशत है। वाराणसी के बाद औद्योगिक निष्कासित जल से सांद्रता बढ़ते-बढ़ते कलकत्ता तक पहुंचते-पहुंचते इतनी अधिक हो आती हैं कि नदी में दूर-दूर तक कोई मछली नहीं दिखाई पड़ती। बी० ओ० डी० टेस्ट एक जीवाणु क्रिया है जो नदी के जल द्वारा 5 **दिन की अवधि में 20 सें. पर आक्सीजन की शोषित की गई मात्रा है। साफ पानी की बी.ओ.डी. मात्रा दूषित जल से बहुत कम होती है।**

दूषित जल जानलेवा भी

जैसा कि हमने जाना कि कई प्रकार के अकार्बनिक तत्व दूषित जल में मौजूद होते हैं। इनमें से फास्फेट व नाइट्रेट आदि जल में उपस्थित शैवालों की वृद्धि कराने में सहायक होते हैं। यह पानी सिंचाई के लिए छोड़े जाने के साथ-साथ पीने के पानी को भी दूषित करता है जब ऐसा दूषित पानी हम पीते हैं

तो हमारे पेट में जाकर उसमें उपस्थित नाइट्रेट, नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। यह नाइट्राइट हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन से जुड़ कर उसके आक्सीजन वाहन कार्य में **बाधा डालता है। इस प्रकार नाइट्राइट की अधिक उपस्थिति का प्रदूषण जानलेवा भी हो सकता है।**

गंगा सफाई का प्रथम चरण पूर्ण

गंगा सफाई का प्रथम चरण ऋषिकेष व हरिद्वार से प्रारंभ हुआ व 96 लाख रुपये की लागत से इस प्रक्रम को पूरा करने के लिए 100 दिन का समय लगा। शहरों के जल मल को गंगा में बहने से रोका गया व इन्हें पम्पों द्वारा खेतों की तरफ मोड़ दिया गया है। दूसरे चरण में दो जल-मल शोधन यंत्रों को **लगाया जाएगा जिन पर 5-6 करोड़ रु. की लागत आयेगी।** शोधन उपरांत अपशिष्टों से बायोगैस, खाद व पक्षी आहार आदि प्राप्त हो सकेंगे। मछली पालन व शैवाल उगाने में भी यह प्रक्रम सहायक होगा। राष्ट्रीय वनस्पति-शोध संस्थान, लखनऊ ने जल-मल शोधन संयंत्र का माडल तैयार किया है। जिसके उपयोग से काफी लाभ होने की आशा है।

हम भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि आध्यात्मिक रुप से परमपवित्र मां गंगा के चरणकमलों पर अपने प्रमाद व त्रुटियों के लिए क्षमायाचना करते हुए, भविष्य में इसकी पवित्रता को बनाये रखने के लिये पूर्णतः कटिबद्ध हो जाएं।

गंगा जल में उपस्थित विषैले तत्त्व

क्र.सं.	तत्व	सांद्रता (मि० ग्राम/लिटर)
1.	सल्फेट	200.0
2.	लोह	10.1
3.	सीसा	0.05
4.	सायनाइड	0.05
5.	मैगनीशियम	30.0
6.	तांबा	0.05
7.	पारा	0.001
8.	आरसेनिक	0.05
9.	फिनोल	0.001
10.	जस्ता	0.05
11.	कैलशियम	75.0

	जीव-जीवाणु	जनित रोग
1.	वायरस	यकृत शोथ, पोलियो
2.	जीवाणु	हैजा, टायफाइड, पेचिश, अतिसार
3.	प्रोटोजोआ	एमीबिक डिसेन्ट्री, जियार्डियेसिस
4.	कृमि	गोल कृमि, फीता कृमि, हाइडेटिड कृमि, (एकाईनोकोकोसिस), आदि
5.	घोंघा	हिपैटिटिस, शिस्टोसोमिएसिस

विभिन्न औद्योगिक स्रोतों द्वारा प्रदूषण

क्रम संख्या	उद्योग	उत्पादित दूषित जल दस लाख घन मी./प्रति वर्ष	बी.ओ.डी. (मि.ग्रा०/लिटर)	सी.ओ.डी. मि.ग्रा/लिटर	निलम्बित ठोस पदार्थ	अन्य
1.	सूती कपड़ा उद्योग	1530	200-300	400-800	350-500	क्लोराइड आयन 500-1400 कुल नाइट्रोजन 1250 फ्लोराइड 15 आरसेनिक 1.6
2.	खाद	52	—	—	—	फास्फेट 70
3.	कागज	450	160	725	410	
4.	स्टील	40	75-100	200-2000	—	फिनोल 20-60
5.	पीड़नाशक	—	700 तक	3000-10000	—	**कार्बनिक नाइट्रेट** 0-500 सल्फेट 3000-20,000

जी-4,मुखराम गार्डन तिलक नगर, नई दिल्ली-110018

परिवार नियोजन एक अध्ययन

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए अध्ययन से यह बात स्पष्ट हुई है कि सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम ने छोटे परिवार की आवश्यकता के बारे में चेतना पैदा करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है तथा परिवार नियोजन अपनाने वालों व न अपनाने वालों में आवश्यक जागरूकता पैदा की है। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि जिन मामलों में परिवार नियोजन नहीं अपनाया गया है उनके पीछे परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में जानकारी की कमी नहीं बल्कि अन्य कारण रहे हैं। परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वाले और न अपनाने वाले, दोनों श्रेणियों के लोगों में से बहुत से लोगों को महिला नसबन्दी एवं पुरुष नसबन्दी द्वारा स्थायी रूप से जन्म रोकने के तरीकों की जानकारी है। प्रश्नों के जवाब देने वालों में से काफी कम लोगों को लूप, कॉपर-टी और निरोध जैसे अस्थायी तरीकों की जानकारी थी। एक आश्चर्यजनक पहलू यह सामने आया है कि परिवार नियोजन न अपनाने वालों में से केवल 0.4 प्रतिशत लोगों को गर्भपात के बारे में जानकारी है।

यह बात भी सामने आई कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों में परिवार नियोजन के स्थायी तरीके अपनाने वालों की संख्या अस्थायी तरीके अपनाने वालों से काफी अधिक है। यह भी पाया गया कि श्रमिक वर्ग में भी स्थायी तरीके अपनाने वालों की संख्या अस्थायी तरीके अपनाने वालों की तुलना में काफी अधिक है।

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मुख्यतः आर्थिक या व्यक्तिगत कारणों से तथा स्वास्थ्य व चिकित्सा को देखते हुए लोगों ने परिवार नियोजन अपनाया। परिवार नियोजन अपनाने वाले कुल 1024 लोगों में से (जो कि अध्ययन में शामिल किए गए) 49.6 प्रतिशत लोगों ने मुख्यतः आर्थिक कारणों से परिवार नियोजन अपनाया। 17.4 प्रतिशत ने स्वास्थ्य व चिकित्सा के कारणों की दृष्टि से परिवार नियोजन को अपनाया। 0.4 प्रतिशत लोगों ने परिवार नियोजन को इसलिए अपनाया कि उनको जो तरीके सुझाए गए थे, उनको अपनाना तथा छोड़ना आसान था और शेष 29.1 प्रतिशत लोगों ने अन्य आम कारणों से परिवार नियोजन अपनाया।

अध्ययन से एक और उल्लेखनीय बात यह सामने आई कि इस कार्यक्रम के तहत दिए जा रहे प्रोत्साहन कमोवेश परिवार नियोजन अपनाने के निर्णय में महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। परिवार नियोजन अपनाने वालों में से जिनको प्रोत्साहन दिए गए थे उनमें से एक तिहाई का कहना था कि वे प्राप्त प्रोत्साहनों से संतुष्ट हैं। अन्य एक तिहाई लोगों का कहना था कि वे इन प्रोत्साहनों से संतुष्ट नहीं हैं और शेष लोगों ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए।

एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि परिवार नियोजन अपनाने वालों में से 91.4 प्रतिशत विवाहित थे और उनका पहला बच्चा पत्नी की आयु 25 वर्ष होने तक पैदा हो गया था। इनमें से केवल 21.9 प्रतिशत ने उस समय तक परिवार नियोजन का कोई तरीका अपनाया था। 25 साल की उम्र तक विवाहित तथा परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वाले 935 लोगों में से केवल 224 (23प्रतिशत) ने उस उम्र तक परिवार नियोजन तरीके अपनाए थे और शेष 76.1 प्रतिशत ने ये तरीके नहीं अपनाये थे। अध्ययन से प्राप्त अन्य जानकारी इस प्रकार है :

परिवार कल्याण कार्यक्रम ने उन गाँवों में अधिक प्रगति की है जहां बेहतर चिकित्सीय/स्वास्थ्य सुविधाएं तथा बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा दुगुनी है।

अध्ययन में शामिल प्रश्नोत्तरी के उत्तरों से यह निष्कर्ष निकलता है कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से परिवार नियोजन के तरीके अपनाने पर या तो बहुत कम प्रभाव पड़ा है या इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। वास्तविक सहायता तथा चुने गए गाँवों की सम्यक देखभाल की दृष्टि से परिवार नियोजन कार्यक्रम में गाँवों और स्थानीय नेताओं, स्कूल अध्यापकों, पंचायतों और स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग बहुत कम रहा है। श्रव्य, दृश्य या व्यक्तिगत माध्यमों से किए गए सम्पर्कों का परिवार नियोजन अपनाने पर बहुत कम या नगण्य प्रभाव पड़ा है।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) ने चुने हुए 16 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया है। इस उद्देश्य के लिए संगठन ने इन राज्यों के 31 चुने हुए जिलों का क्षेत्रवार सर्वेक्षण किया और 62 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 124 गाँवों का अध्ययन किया। क्षेत्रवार सर्वेक्षण के दौरान संगठन ने ऐसे 1630 योग्य दम्पत्तियों से सम्पर्क किया जिनमें 1024 दम्पत्ति

परिवार नियोजन के तरीकों का उपयोग करते थे तथा 606 ऐसा नहीं करते थे।

रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि यदि योग्य दम्पत्तियों को यह पता लग जाए कि परिवार नियोजन के कई तरीकों में पुन: संतानोत्पत्ति के विकल्प की भी व्यवस्था है तो इससे उनमें परिवार नियोजन के बारे में हिचकिचाहट और आशंकाओं को दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इसलिए परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित एजेंसियों/कार्यकर्ताओं को सभी योग्य दम्पत्तियों को परिवार नियोजन के सभी उपलब्ध तरीकों के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए और उपलब्ध 'स्थाई' एवं 'अस्थाई' उपायों के बीच स्पष्ट अंतर बताना चाहिए।

रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया है कि 25 वर्ष आयु वर्ग के सभी योग्य दम्पत्तियों तक पहुँचना परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए।

योग्य दम्पतियों को परिवार नियोजन के तरीके अपनाने पर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि क्षतिपूर्ति का उद्देश्य मजदूरी की हानि तथा यात्रा में हुए व्यय, काम से जबरदस्ती छुट्टी करने जैसे अस्थायी कारणों के बदले मुआवजा दिया जाना है तो प्रोत्साहनों/क्षतिपूर्ति की मात्रा इन पहलुओं के और अधिक निकट होनी चाहिए। परन्तु यदि इसका उद्देश्य परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित करना है तो प्रोत्साहन आकर्षक होना चाहिए। प्रोत्साहन थोड़े तथा अल्प नहीं होने चाहिए बल्कि ये पर्याप्त और आकर्षक होने चाहिए।

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि लूप के मामले में प्रोत्साहन राशि केवल एक बार दी जानी चाहिए। दिहाड़ी मजदूरों/अस्थायी कर्मचारियों को पुरुष नसबन्दी/महिला नसबन्दी/लूप निवेशन के लिए निर्धारित प्रोत्साहन राशि के अलावा उन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से खर्च की गई धनराशि के भुगतान के साथ ही मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। अन्य वर्ग के ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए आर्थिक प्रोत्साहन अथवा किया गया व्यय ज्यादा महत्व नहीं रखता, को लम्बी अवधि के अवकाश जैसी रियायतें देने पर विचार किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में औद्योगिक/खेतिहर श्रमिकों की बहुतायत है वहां पुरुष/महिला नसबंदी, बाद की देख-रेख आदि के लिए पर्याप्त सुविधाओं वाले विशेष परिवार नियोजन क्लीनिक खोले जाने चाहिए।

रिपोर्ट की अधिकतर सिफारिशें पुरुष/महिला नसबंदी, तथा लूप निवेशन करवाने वालों को दी जाने वाली प्रोत्साहन क्षतिपूर्ति राशि की मात्रा से सम्बन्धित हैं। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इन तरीकों को अपनाने वाले सभी वर्गों के लोगों के लिए यह राशि एक समान नहीं होनी चाहिए बल्कि इसके स्थान पर इसे उस अवस्था से जोड़ा जाना चाहिए जब यह तरीका अपनाया गया था। यदि प्रोत्साहन राशि वांछनीय अथवा आवश्यक हो तो पहले बच्चे के जन्म के बाद ऐसे तरीके अपनाए जाने पर प्रोत्साहन राशि अधिक एवं पर्याप्त होनी चाहिए, दूसरे बच्चे के बाद इससे कम और तीसरे बच्चे के बाद सबसे कम होनी चाहिए। □

भूमि सुधार के नये उपाय

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा फरवरी, 1986 में जारी रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम भूमि सीमा कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से कुल 29.40 लाख हैक्टेयर भूमि अतिरिक्त घोषित की जा चुकी है। इसमें से 17.52 लाख हैक्टेयर भूमि 33.76 लाख लोगों को वितरित भी की जा चुकी है।

विभाग की वर्ष 1985-86 की रिपोर्ट में उक्त जानकारी देते हुए कहा गया है कि अतिरिक्त घोषित भूमि में से 46 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों में वितरित की गई है जो कुल लाभ प्राप्तकर्ताओं का 54.7 प्रतिशत है। वर्ष 1985-86 के दौरान 50660 हैक्टेयर भूमि वितरित करने का लक्ष्य था। दिसम्बर 85 तक 26,051 हैक्टेयर भूमि वितरित की गई जो कुल लक्ष्य का 51.4 प्रतिशत है।

रिपोर्ट के अनुसार जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है। पट्टेधारियों के लिए सुरक्षा उपाय, कृषि भूमि सीमा लागू करना, अधिक्य भूमि का वितरण, भूमि रिकार्ड तैयार करना और बनाये रखना और कृषि भूमि चकबन्दी जैसे भूमि सुधार के कई कदम उठाये गये हैं।

कई राज्यों में खेती की अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित कर दी गई है। □

ग्रामीण महिलाओं के लिए एक नया उद्योग—मछली पालन

निर्मलकान्त ठाकुर एवं बालकृष्ण शर्मा

बहुतों को यह सुनकर हैरानी हो जाती है कि मछली पालन के क्षेत्र में भला महिलाओं का क्या काम लेकिन इसमें हैरान होने की ऐसी कोई बात नहीं है। मछली पालन के क्षेत्र में महिलाओं का सक्रिय योगदान हो सकता है बशर्ते कि मछली पालन की उपयुक्त प्रोद्योगिकियों को पर्याप्त सरल एवं सहज बना कर हम उन्हें हस्तान्तरित करें। कृषि विज्ञान केन्द्र, कौशल्यागंगा (उड़ीसा) के माध्यम से गए कुछ वर्षों से मछली पालन की कई एक ऐसी योजनाएं अड़ोस-पड़ोस के गांवों में चलाई जा रही हैं। ऐसा देखने में आया है कि इन कार्यक्रमों में हमारी ग्रामीण महिलाएं, विशेषतः पिछड़े वर्ग की महिलाएं जिन्हें दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए खेत-खलिहानों तथा यहां-वहां दर-दर भटकते-फिरते मजदूरों की तरह खून-पसीना एक करना पड़ता है, खूब सक्रिय होकर उमंग और उत्साह के साथ भाग लेती हैं तथा इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाती हैं। यह भी देखने में आया है कि मछली पालन के इन कार्यक्रमों के जरिए जहां महिलाएं एक ओर अपने खाली समय का सदुपयोग कर लेती हैं वहीं दूसरी ओर पौष्टिक आहार के अलावा उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी प्राप्त हो जाता हैं। हम यहां संक्षेप में मछली पालन की कुछ एक वैसी ही योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें हमारी ग्रामीण महिलाएं रोजगार के एक नए साधन के रूप में अपना सकती हैं तथा अपने परिवार की आमदनी में वृद्धि लाकर बेहतर और सुखी जीवन व्यतीत कर सकती हैं।

मछलियों के जीरे तैयार करना

वर्षा ऋतु के बाद गांवों में प्रायः यहां-वहाँ खेत-खलिहानों में, सड़कों-पगडंडियों के अगल-बगल, नहर-नालों तथा उसी प्रकार की नीचीं जमीन पर पानी जमा हो जाता है। ऐसे जल-क्षेत्र प्रायः हमारा ध्यानाकर्षण नहीं करते और महीने-दो महीने बाद यूं ही सूख जाते हैं। ऐसे जल-क्षेत्रों का इस्तेमाल ग्रामीण महिलाओं द्वारा मछलियों का जीरा तैयार करने के लिए बखूबी किया जा सकता है। मेड़ बना दिए, खर-पतवारों

कृषि विज्ञान केंद्र, कौशल्यागंगा के 'इन्सट्रक्शनल फार्म' पर मछली पालन का प्रशिक्षण प्राप्त करती हुई ग्रामीण महिलाएं।

की सफाई कर दी थोड़ा गोबर डाल दिया बस नर्सरी तैयार। जीरे तैयार करने के लिए शिशु मछलियां निकटस्थ मत्स्य बीज फार्मों से प्राप्त कर ली जा सकती हैं। जीरा तैयार करने में अधिक समय नहीं लगता है। इसके लिए महज 20-25 दिनों की अवधि पर्याप्त होती है। मछली पालन के प्रति इन दिनों बढ़ती जागरूकता के कारण मछलियों के जीरे की मांग काफी बढ़ गई है। जीरा अभी तैयार हुआ नहीं और खरीदने के लिए ग्राहक तैयार। ऊंगली भर लम्बाई की एक मछली 50 **पैसे से एक रुपये-डेढ़ रुपये तक के दामों पर आसानी से** बिक जाती है।

कामन कार्प मछली का प्रजनन

बाजारों में अमरीकन रोहू के नाम से एक मछली अक्सर बिकती है। यह जगत प्रसिद्ध कामन कार्प मछली है जो संसार के अधिकांश देशों में पाली जाती है। कामन कार्प का पदार्पण हमारे देश में अभ्यागत मछली की तरह सन् 1957 में हुआ था। प्रयोगों से यह शीघ्र स्पष्ट हो गया कि यह एक तीव्र प्रजनक है तथा देश के मैदानी इलाकों में पालने के लिए अत्यन्त ही उपयोगी। यह महज 6 से 7 महीने की उम्र में ही प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाती है। जनवरी से मार्च तथा जुलाई-अगस्त इसका मुख्य प्रजनन-काल है। इस मछली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके प्रजनन में कोई विशेष ताम-झाम की जरूरत नहीं होती। बगैर सूई के भी इसका प्रजनन हो जाता है। तालाब में जलीय पेड़-पौधों के समूह तैरा दिए और हो गई जरूरतें पूरी। कामन कार्प इन पेड़-पौधों के तैरते समूहों पर अंडे चिपका देगी—बस अंडा तैयार। फिर इन अंडों को जलीय पेड़-पौधों सहित कपड़े के बने "हापो" में डाल कर रखते हैं। तीन-चार दिनों में अंडों से फूट कर बच्चा निकल आता है जिन्हें फिर नर्सरी तालाबों में डाल कर बड़ा कर लिया जाता है।

कामन कार्प वास्तव में महिलाओं के लिए एक अत्यन्त ही सुविधाजनक मछली है। इसका प्रजनन तो सहज है ही, इसके पालन-पोषण में भी कोई झमेला नहीं। न बीज के लिए भाग-दौड़ की जरूरत और न इसके भोजन के लिए कोई विशेष व्यवस्था। जो मिल गया सब ग्राह्य हो जाता है इसे।

छोटे पैमाने पर मछली पालन

गाँवों में घर-आंगन के अगल-बगल छोटा-मोटा पोखर अक्सर हुआ करता है। इन पोखरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से नहाने, बर्तन धोने तथा छोटी-मोटी सिंचाई के लिए किया जाता है। इनमें मछलियां भी बखूबी पाली जा सकती हैं। **दर असल इस प्रकार के तालाब इतने छोटे होते हैं कि** पुरुष वर्ग इसके समुचित इस्तेमाल की बात सोचते ही नहीं। थोड़ा सा जीरा लाकर छोड़ दिया और बात आई-गई कर दी। अन्त में जो दो-चार मछली हाथ आ गईं उसी को पाकर संतुष्ट हो गए। हमारी ग्रामीण महिलाएँ ऐसे तालाबों से भरपूर लाभ उठा सकती हैं बशर्ते कि इस संबंध में उन्हें आवश्यक जानकारी दे दी जाए। मसलन, मछलियों की कौन सी किस्में ऐसे तालाबों में पाली जानी चाहिए, कितनी संख्या में पाली जानी चाहिए तथा उनके रख-रखाव के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के मछली पालन से महिलाएं जहाँ एक ओर अपने परिवार को पौष्टिक आहार दे सकने में सक्षम होंगी वहीं दूसरी ओर अगर पैदावार अच्छी हुई तो उन्हें मुनाफा भी प्राप्त होगा।

मछली पालन के साथ बागवानी

मछली पालन में तालाब के भिंडे पर बागवानी की अच्छी **गुंजाइश निकल आती है । बागवानी के लिए तालाब के जल से** सिंचाई का प्रबन्ध हो जाता है और तलछट की मिट्टी से उर्वरक की आपूर्ति। तालाब के भिंडे पर सब्जी, फल-फूल आदि के पेड़-पौधे लगे हों तो मिट्टी की पकड़ बनी रहती है और भिड़े टूटते नहीं।

तालाब के भिंडे पर इस छोटी-मोटी बागवानी में महिलाओं का सक्रिय योगदान हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत और फायदा ही फायदा—हरी सब्जी का भी और साथ ही हरे-हरे नोटों का भी। सब्जियों में विभिन्न प्रकार के साग, मूली, बैंगन, लौकी, नेनुआ, झिंगली, कोंहरा आदि, फलों में पपीता, केला, आम, अमरुद, नारियल आदि तथा अन्य **फसलों में अरहर, मूंग, सरसों की बागवानी के लिए** तालाबों के भिंडे बड़े उपयुक्त होते हैं।

जाल बुनाई

गाँवों में एक ओर जहां लोग मछली पालन के प्रति जागरूक हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर तालाबों से मछलियों की पैदावार प्राप्त करने के लिए जाल की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। मछली पकड़ने का जाल काफी महंगा होता है इसलिए हमारे किसान भाई इसे खरीद नहीं पाते। ऐसा देखने में आया है कि ग्रामीण महिलाएं जाल-बुनाई की कला बड़ी आसानी से सीख लेती हैं। जाल-बुनाई उद्योग का सर्वाधिक आकर्षक पक्ष यह है कि महिलाओं को इसके लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। घर बैठे ही खाली समय में जाल बुनने का काम निपटा लिया जा सकता है।□

कृषि विज्ञान केन्द्र एवं प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र
केन्द्रीय अन्तः स्थलीय मछली अनुसंधान संस्थान
कौशल्यागंगा, भुवनेश्वर—751002

मृग तृष्णा

हरि विश्नोई

पात्र-परिचय

1. रमेश (25 वर्ष)
2. सुमन (20 वर्ष) रमेश की पत्नी
3. अरुण (रमेश का दोस्त)
4. शांति (रमेश की मां)
5. होरी (रमेश के पिता)

(पार्श्व में शहर का वातावरण, भीड़ का शोर, मोटर के हार्न की आवाजें... पीं...पीं...पीं..)

अरुण: (मस्ती में गीत गुन-गुनाता हुआ सड़क किनारे जा रहा है)...अरे...रे...रे...कमाल हो गया? हूं हूं। इनका बस चले तो ये स्कूटर वाले, पैदल चलने वालों पर पहिया ही चढ़ा दें। देखते ही नहीं...हैं।

रमेश: (पीछे से धीमी-सी आवाज आती है) अरुण...ओय अरुण...सुनता ही नहीं है। देखे तो, अरुण

अरुण: (धीरे से) कोई मुझे...आवाज दे रहा है?

रमेश: (पास आकर) अबे ओ, पहचाना भी या नहीं?

अरुण: अरे रमेश, तू? यहां कैसे? अबे बड़ा मोटा हो गया।

रमेश: मोटे के बच्चे? मालूम है कितनी देर से तेरा मकान ढूंढ रहा हूं? ऐसा पता दिया था कि बस...

अरुण: जो कार्नर वाला है उसी के पास...तो है इधर।

रमेश: अबे चल, वहां तो मैंने पूछा था। पता चला कि यहां कोई अरुण कुमार जी नहीं रहते। इतने दिनों से रह रहा है और हालत यह है कि पड़ोसी भी नहीं जानते। वाह बे। तेरे से तो हम ही अच्छे हैं गांव के इस कोने से उस कोने तक का बच्चा-बच्चा जानता है...

अरुण: वहां की बात छोड़,यार। यह शहर है, बेटा यहां उम्र गुजर जाती है और आदमी अपनी पहचान नहीं बना पाता। देख यार पहले घर चलते हैं ठीक है ना? ये बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी, पुरानी आदत है।

रमेश: हां...हां...और क्या मैं तेरे पास, सड़क पर खड़े होकर इस तरह बतियाने-भर के लिए आया हूं? चल...

अरुण: हां,तो मैं कह रहा था कि दर असल बात यह है।

रमेश: सुबह जल्दी आफिस के लिए बस पकड़नी होती है और वापसी में...देख ले...यह वक्त हो जाता है यही न।

अरुण: हां! छुट्टी के दिन, घर भाग जाता हूँ। अब तू ही बता यहां किस समय किस से बात करूँ? और किस के पास फुर्सत है? सब अपने-अपने चक्कर में रहते हैं। वैसे कुछ लोग हैं जो अपने को जानते हैं जैसे—वो नुक्कड़ वाला लाला, बेचारा महीने-भर उधार देता रहता है (हंसी) नाई, धोबी, वगैरा-वगैरा।

रमेश: अच्छा तो यह फ्लैट है जनाब का? बढ़िया है।

अरुण: क्यों मजाक उड़ाता है,यार? झोंपड़ी कह झोंपड़ी... (दरवाजा और ताला खोलने का संकेत) (गहरी सांस)

रमेश: अबे भाभी मायके गई हैं क्या? या तू उन्हें...?

अरुण: क्या बताऊँ? देख तो कितना अस्त-व्यस्त सा पड़ा है?

रमेश: कोई बात नहीं। सब चलता है, मगर हाँ। एक बात तो बता, कालिज लाइफ में जब तू हमारे साथ होस्टल में रहता था। तब तो यार तू बड़े भाषण झाड़ा करता था?

अरुण: छोड़ न,यार... अब वो दिन हवा हुए जब कि पसीना भी गुलाब था। अब इत्र भी मलते हैं तो खुशबू नहीं आती। (आह!) अब तो दिन काट रहे हैं बस।

रमेश: (आश्चर्य से) अरे! अभी तो जुम्मा-जुम्मा चार दिन हुए हैं भाई। ऐसा भी क्या है भई, मजे तो हैं अच्छी-खासी नौकरी है। एक हम हैं कि गांव में पड़े हैं। शहर से कोसों दूर। हूह...

अरुण: सच पूछे तो तू मजे में है,रमेश। शहर तो बस नाम ही

का है यार। यहां क्या रखा है दिक्कतों के सिवा। गांव में कम से कम चैन की जिन्दगी तो है। ये आपा-धापी, भागदौड़ तो नहीं है।

रमेश: आ...हा...हा...! क्या कहने? चैन की जिन्दगी तो है? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं,बेटा, रह कर देखो तो पता चले कि दाल आटे का भाव क्या होता है? हां।

अरुण: मैं तो बस इतना जानता हूँ कि गीदड़ की मौत आती है तो वह भी शहर की ओर भागता है (हंसी) ठीक कह रहा हूँ ना,गुरु?

रमेश: गुरु होता तो तेरी तरह से, मैं भी शहर में होता। लेकिन बस वक्त ने कुछ ऐसी पलटी मारी कि जहां जन्मा था वहीं का होकर रह गया।

अरुण: क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं...

रमेश: समझाने के लिए तो पूरी रात पड़ी है। अब यह बता कि कुछ खाने-पीने की बात भी पूछेगा या भूखा मारने का ही इरादा है? बड़ी तेज भूख लगी है।

अरुण: देख भई, हाथ से बनाना तो बस का रोग नहीं है। मैं तो रोज सुबह-शाम होटल की ही तोड़ता हूँ क्या करूं यार? वहीं चलते हैं बस। क्यों? ठीक है ना? चलो।

रमेश: चल यार,जल्दी कर। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं...हां।

अरुण: अच्छा जरा साइकिल निकाल लूं थोड़ी दूर है ना...दोनों...

रमेश: नहीं-नहीं,पैदल ही चलते हैं...इसे यहीं छोड़। थोड़ी देर घूमना हो जाएगा। (दोनों घर से निकलते हैं) दरवाजा बंद करने तथा ताला लगाने की आवाज)

अरुण: पढ़ाई छूटने के बाद तो सब दोस्त इधर-उधर हो गए, वो जगदीश त्रिपाठी जो था वो कहां है आज कल? (पार्श्व में सड़क का शोर सुनाई देता है)

रमेश: गांव में तो रहता नहीं है यहीं कहीं पर शायद किसी प्रेस में सर्विस करता है। (दोनों चलते-चलते बातें करते हैं)

अरुण: रमेश! कालिया का पता है क्या हुआ?

रमेश: क्या आई.ए.एस. हो गया वो...? (आश्चर्य से)

अरुण: आई.ए.एस. तो क्या यू.डी.सी. भी नहीं बन पाया। बरसों से टक्करें मार रहा है। पिछले हफ्ते मिला था कह रहा था कि को-आप्रेटिव के किसी दफ्तर में एक जगह है। एडहाक पर ही सही। जुगाड़ लग गया तो फिलहाल...

रमेश: अरे कमाल है,यार। वो तो बताता था कि मेरे घर पर बहुत जमीन-जायदाद है। बिजनेस भी होती है।

अरुण: तू नहीं जानता। सर्विस का चार्म! बहुत जबरदस्त होता है मजबूरी में तो नौकरी करने वाले बहुत कम होते हैं। यानि मेरे जैसे (हंसी) बाकी तो सब शौक में करते हैं। जबकि मेन धंधा उनका भी कुछ न कुछ और ही रहता है। नौकरी में मुफ्त की मिलती है...ना

ध्वनि संकेत (दृश्य परिवर्तन)

(दोनों दोस्त खा-पीकर आते हैं, और सोने की तैयारी करते हैं, रात का वातावरण झींगरों की आवाजें)

अरुण: तू भी यार क्या कहेगा कि कभी न कभी तो गया और उसमें भी चारपाई की जगह, नीचे बिस्तर लगा कर सुला दिया साले ने? प्लीज़ डोंट फील...

रमेश: अबे चल-चल कैसी बातें कर रहा है? पागल है?

अरुण: अच्छा ले तकिया तो लगा ले...ले ना...

रमेश: नहीं तू लगा। मैं तो ऐसे ही सोता हूं।

अरुण: हां,भाई। तुझे तकिए पर अब नींद कहां आती (हंसी) होगी? हमारी भाभी के मुलायम-मुलायम... हाथ...

रमेश: अबे तुझे किसी ने मना कर रखा है क्या? तू भी अपनी श्रीमती जी को साथ रखा कर, फिर देख...

अरुण: (गहरी सांस खींच कर) (बोझिल स्वर) कह तो ठीक रहा है तू लेकिन...देखता नहीं एक कमरा है। यही किचन, यही ड्राईंग रूम और यही डाईनिंग हाल है। इसमें अकेले तो एडजस्ट हो सकता है पर...

रमेश: तो दूसरा मकान क्यों नहीं ढूंढ लेता कहीं...हूं?

अरुण: इतनी आसानी से कहां मिलते हैं यहां...और फिर बदलूं भी तो आखिर कैसे? यही दो सो रुपये पर है। इससे ज्यादा का तो...? नहीं, नहीं बड़ा मुश्किल है। 300-400 का अपने बस का नहीं है। भूखा थोड़े ही मरना है? कट-कटा कर रुपये 750/- ही तो मिलते हैं यार। अबे चुप क्यों हो गया। सो गया क्या इतनी **जल्दी ?**

रमेश: नहीं तो...यूं ही जरा सोच रहा था...

अरुण: क्या सोच रहा था? सारी जिन्दगी ऐसे ही थोड़े कटेगी? पांच साल बाद तो प्रमोशन हो जाएगा। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि कहीं कुछ पार्ट-टाइम जॉब ही ढूंढ लूं। वैसे सवेरे तो दो ट्यूशन पढ़ाता हूं। एक अखबार के दफ्तर में काम मिल रहा है। रात की शिफ्ट में है यार। एक सोचता हूँ कि कर लूँ। मगर फिर सवेरे उठने में थोड़ी...दिक्कत।

रमेश: सो तो है। देख ले,भई, अगर चला **पाए तो.....**

अरुण: रमेश बोर नहीं हुआ तू? कुछ अपनी भी तो सुना ना। इतने दिनों बाद मिला है... क्या कर रहा है आजकल...?

रमेश: क्या सुनाऊं,यार, बिस्तर बोरिया तो मैंने भी बांध लिया था लेकिन मां तैयार नहीं थी। एक दिन...

—फ्लैश बैक—ध्वनि संकेत—संगीत

शांति: रमेश के बापू! लो सुन लो अपने पूत की बात... अरे सहर में रेके दो जमात पढ़ क्या गया? तू तो अंबर में

थेगली लगाने लगा...हूंह! आजकल की औलाद तो बस...

होरी: अरी, बावली हो रई है? तेरे तो पुरखे भी नहीं पढ़े होंगे... हां... सोलह दर्जे किए हैं सोलह। अब कोई बच्चा तो हूं नहीं यो, कि जैसे तू कैती रहेगी बैसेई करता रहेगा। हाकिम-हुक्काम बन गया, तो मजे आ जाएंगे।

रमेश: देख लो, पिता जी...मां अब भी मुझे बच्चा समझती है।

शांति: अरे जा-जा बच्चा नई तो क्या बाप बन गया है तू? अभी तेरा जी नहीं भरा सहर से। क्यों? गांव की मिट्टी में बदबू आने लगी तुझे भी? जिस धूल में खेलकूद कर बड़ा हुआ, आज उसको छोड़कर जाना चाहता है? वाह रे, बेटा?

रमेश: नहीं, मां, नहीं। यह बात नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं।

शांति: देख रे, मैं तेरी मां हूं, समझा। तू मुझे क्या खाक समझायेगा? पढ़ी-लिखी नहीं तो क्या इतनी गयी-गुजरी हूं कि जिसे पैदा किया उसकी बातों का मतलब भी न जान पाऊं... मैं सब जानती **हूं**।

होरी: क्यों बेकार में जिद कर रई है। अरी जाने दे ना। पढ़ लिख कर क्या यहां रहेगा हमारा बेटा? इस कच्चे मकान में? भला गांव-गोठ भी कहीं पढ़े-लिखों के लिए होती है। बाहर जाएगा, तरक्की करेगा, बाबू बनेगा।

शांति: तो फिर ठीक है, भैया...हमारा क्या है जहां इत्ती कट गई और थोड़ी बची है सो भी कट जाएगी राम सहारे... सोचती थी जल्दी-जल्दी बड़ा हो जायेगा तो गुड़िया जैसी बहू लाऊंगी... हूंह... इतने सालों बाद पढ़ कर आया है तो फिर नौकरी करने चल दिया। अरे सब नौकरी ही करते हैं क्या...

होरी: और नहीं तो क्या पढ़-लिखकर यहीं डंगर चराते हैं।

(दृश्य परिवर्तन : हल्का ध्वनि संकेत)

(फिर वही रात का वातावरण झींगुरों का स्वर तथा बीच-बीच में जागते रहो की आवाजें)

रमेश: (गहरी सांस लेकर) मैं बड़ी दुविधा में फंस गया था अरुण मुझ से जुड़े मां के सपने और उसकी **ममता** तथा पिता जी का प्यार और उनका भोलापन, ऐसा था कि गांव नहीं छोड़ पा रहा था। साथ ही कुछ कारण ऐसे थे कि मेरा वहां रहना मुश्किल लग रहा था। उन कारणों में से सुमन भी एक थी उसकी मुझे बेहद याद आती थी...

अरुण: वह भी तो बहुत प्यार करती थी यार तुझे...क्यों?

रमेश: हां...एक दिन जब उसका पत्र मुझे उसी दौरान मिला तो मैं मारे खुशी के ...जै...से पागल हो गया था...

फलैश बैक (ध्वनि संकेत) गूंजती हुई सुमन की आवाज

सुमन: डीयर रमेश,

मधुर याद!

सच मानों, यह जान कर तो मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम्हारा **अपाइंटमैंट** लैटर आ गया है। बड़े खराब हो, यह भी नहीं लिखा कि पोस्टिंग कहां हुई है। हां अब आओगे ना बारात ले के। कब से तुम्हारी राह देख रही हूं। **कहते** थे कि थोड़ा रुक जाओ जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं कैसे? लो अब तो भगवान ने मेरी प्रार्थना भी सुन ली। कब आ रहे हो? मिठाई खानी है ना। हर वक्त तुम्हारी याद आती रहती है। एक पल के लिए भी मन नहीं लगता। साथ-साथ गुजारे हुए वो अनमोल क्षण कितना तड़पाते हैं? जी करता है कि तुम्हारे संग दूर कहीं, हवा में उड़ चलूं। जहां सिर्फ मैं और तुम हों अच्छा, बताओ जल्दी आओगे ना? मैं प्रतीक्षा कर रही हूं। देखो भूलना नहीं। तुम्हें मेरी कसम... सिर्फ तुम्हारी सुम्मी।

रमेश: और मैं बेताब होकर तैयारी करने लगा। मां की..एक बात मुझे बार-बार याद आ रही थी।

शान्ति: (गूंजती हुई) पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी करना है....(बार-बार कई बार)...क्या पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी करना है?

रमेश: मां की बात कहीं गहरे तक उतर रही थी। मैं परेशान था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इसी उधेड़बुन में मैं उस रात सो भी नहीं सका था और अंदर कुछ हो रहा था।

(रमेश की अंतरात्मा का गूंजता हुआ स्वर)

आत्मा: (अट्टहास) हा-हा-हा क्यों, तय नहीं कर पा रहे हो...?
क्यों हिचक रहे हो...?

रमेश: नहीं! नहीं! मैं अशांत हो गया हूं (सहमा हुआ स्वर) मैं उदभ्रांत हो गया हूं ये...ये मुझे क्या हो रहा **है**?

आत्मा: (पुनः हँसी) तुम भौतिकवादी हो मूर्ख! **तुम्हें समाज**, सोसायटी और सिर्फ अपने कैरियर की **चिंता है। क्यों** न? बोलो... बोलते क्यों नहीं...

रमेश: (अटकते हुए) मैं... मैं... नहीं जाऊंगा। **शहर नहीं** जाऊंगा...

आत्मा: (पुनः हंसी) नहीं जा...ओ...गे। वह लड़की जिसे तुम पत्नी बनाना चाहते हो क्या वह तुम्हारी पत्नी बन सकेगी? इस टूटे छप्पर और खपरैल में वो रह लेगी? नहीं...नहीं रह पाएगी? फिर तुम भागोगे क्यों?

रमेश: उसे रहना होगा। अगर वह मुझे चाहती है तो उसे यहीं रहना होगा...मेरे साथ...तुम जाओ...जा....

...ओ...(चीख)

अरुण: (शांतिमय वातावरण) फिर क्या हुआ, रमेश?

रमेश: मेरी सुम्मी प्यार की परीक्षा में खरी उतरी। उसने मेरे इस निर्णय को खुशी से स्वीकार कर लिया। मैं घर पर ही खेती-बाड़ी देखने लगा और एक दिन हम दोनों एक हो गए। (शहनाई का स्वर) बड़े ही सादे ढंग से। यही कारण था कि तुम्हें भी पता न चला। (पार्श्व में सितार की आवाज)

अरुण: (आश्चर्य से) अरे वाह, कमाल हो गया! बहुत खूब!

रमेश: हालांकि सम्मी ने कभी कोई शिकवा नहीं किया लेकिन फिर भी क्योंकि जमीन कम थी। खेती से इतना हम नहीं जुटा पायेंगे इस लिए मैंने सरकारी योजना में भैंस खरीद कर, दूध का काम शुरु कर दिया और सुम्मी गांव में औरतों को सिलाई, कढ़ाई-बुनाई सिखाने लगी। अब हम हर माह करीब दो हजार रुपये कमा लेते हैं। तुम चाहो तो चलो मेरे साथ। मुझे जरुरत भी **है, पिता जी बूढ़े हैं। अकेला देख नहीं पाता।** आधा-आधा कर लिया करेंगे क्यों? क्या मरजी है? बोलो।

(रात का वातावरण जारी है)

अरुण: (खुशी से) मेरी मर्जी पूछ रहे हो? मैं तैयार हूं...

रमेश: तो कल ही चलोगे ना? पक्की बात? क्यों...

अरुण: **बिल्कुल। यार तूने तो मुझे डूबते को बचा लिया। सच** मैं...मैं तेरा यह उपकार...

रमेश: क्या बात करता है? अच्छा अब इतनी रात हो गई सोएगा भी या नहीं।

अरुण: (गाते हुए) आज की रात हमें नींद नहीं आएगी सुना है तेरी महिफल में रत जगा है...

रमेश: ओ गायक की दुम, पता है क्या बज रहा है? हॉर्न बजता है। कुकड़ूं कूं...। मुर्गा कह रहा है कि दिन निकलने वाला है।

अरुण: (स्वगत) कैसी मृग तृष्णा में भटक रहा था मैं? हिरन होता है ना वो रेगिस्तान में जब रेत **पर** सूय की किरणें देखता है तो उसे पानी समझकर इधर-उधर दौड़ता है। लेकिन सूखे मरुस्थल में प्यासे का प्यासा ही रहता है। बस यही हाल अपना **था**।

रमेश: तेरे जैसे अनगिन युवाओं का यही हाल है। जीवन एक मृग तृष्णा है। जो इससे बच गया वह जीवन में सफल हो गया।

(अंतिम संगीत)

82/35, गुरु गोबिंद सिंह मार्ग
लालकुआँ, लखनऊ-19

कम्प्यूटर नियंत्रित बढ़िया सिंचाई

नीलम गिरि

रोजमर्रा की जिन्दगी में बढ़ते दखल के साथ ही अब अपनी चमत्कारिक उपलब्धियां लेकर कम्प्यूटर कृषि के क्षेत्र में भी आ धमके हैं। कम्प्यूटरों ने फिलहाल कृषि क्षेत्र में सिंचाई के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपनी उपयोगिता की धाक जमा दी है।

कम्प्यूटरों को कृषि से जोड़ने का यह श्रेय अमेरिका को जाता है। अमेरिका के कृषि विभाग के वैज्ञानिक एफ. हीरमैन और उनके साथी आर. ड्यूक ने एक ऐसी सिंचाई प्रणाली का विकास किया है, जिससे न केवल परम्परागत सिंचाई विधियां बेकार साबित हो गई हैं, बल्कि इससे ऊर्जा, धन, पानी और समय की भी बचत होती है।

इस नई प्रणाली में कम्प्यूटर को खेत की मिट्टी और उसमें खड़ी फसल के बारे में विस्तृत सूचनाएं दे दी जाती हैं। इन सूचनाओं के आधार पर वह खेतों की वैज्ञानिक ढंग से सिंचाई करता है। इस सिंचाई में वह फसल को कम खर्च, कम समय और कम लागत में उतना ही पानी देता है, जितने पानी की जरूरत होती है।

इतना ही नहीं, यह अनोखा 'किसान-कम्प्यूटर' फसल के लिए पानी की जरूरत न होने पर जल-प्रवाह को अपने-आप बंद भी कर देता है।

इस नई खोज का आधार पेड़-पौधों की प्यास पर लम्बे समय तक किए गए वैज्ञानिक परीक्षण हैं। इन परीक्षणों से वैज्ञानिक प्यास लगने पर पौधों द्वारा दिए गए संकेतों का पता लगाने में कामयाब रहे हैं। कम्प्यूटर नियंत्रित सिंचाई प्रणाली इन संकेतों के मुताबिक ही कार्य करती है।

नई प्रणाली में फसल और मिट्टी के बाबत सारी सूचनाएं प्राप्त कर लेने के बाद कम्प्यूटर 'कंट्रोलर' का कार्य करता है। वह हर 15-20 मिनट बाद सिंचाई के लिए लगे फव्वारों **की देख-रेख करता है कि वे चल रहे हैं या नहीं। अगर किसी** खराबी के कारण बंद हो गए हैं तो वह उन्हें फौरन चलाने की वैकल्पिक व्यवस्था करता है।

यह अनोखा कम्प्यूटर फसल के लिए जहां 'अभिभावक' की भूमिका निभाता है, वहीं खेत में मौजूद हवा की रफ्तार, आर्द्रता, सौर-विकिरण और तापमान को मापते हुए 'मौसम केंद्र' का भी काम करता है। जब कम्प्यूटर को मालूम हो जाता है कि फसल के स्वास्थ्य के लिहाज से पर्याप्त सिंचाई हो चुकी है तो वह सिंचाई-पम्पों को बंद करने का आदेश दे देता है।

सिंचाई का काम करने वाला यह किसान कम्प्यूटर अमेरिका के कांडन्न रैंच में लगा है। काबिले गौर है कि इस कम्प्यूटर की वैज्ञानिक सिंचाई से कृषि-उपज में भी भारी बढ़ोत्तरी होती है।

सिंचाई के लिए वैज्ञानिकों ने अब एक अन्य स्वचालित दूरमापी टच-टोन प्रणाली भी विकसित की है। यह फसल की सतही सिंचाई को नियंत्रित करती है। इसमें एक बारीक केबल द्वारा खेतों को एक नियंत्रक से जोड़ दिया जाता है। यह नियंत्रक खेत में मौजूद फसल की जरूरत के मुताबिक सिंचाई करता है।

इस नियंत्रण में मौसम, फसल, मिट्टी आदि के बाबत सूचनाएं एकत्र रहती हैं। इस प्रणाली की खूबी यह है कि इसे पवन या सौर ऊर्जा से भी चलाया जा सकता है। □

ई-35, सिद्धार्थ बस्ती, जंगपुरा,
नई दिल्ली-110014

सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व........**(पृष्ठ 4 का शेषांश)**

इस बारे में भारत में एक नई मनोवृत्ति को जन्म देना होगा। हम राष्ट्र को चीखने-चिल्लाने, झुंझलाने और छिद्रान्वेषक-राष्ट्र से बदल कर सही मायनों में सच्चे राष्ट्र का रूप देना चाहते हैं। हम इसे एक ऐसे राष्ट्र में बदलना चाहते हैं जिसमें **आत्मविश्वास हो, अपने कार्य निष्पादन पर गर्व हो। एक** ऐसा राष्ट्र जो मजबूत हो और आगामी शताब्दि में हमारे **सम्मुख आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।** □

नवजागरण का नया प्रभात

सुरेश पाण्डेय

भारतीय स्टेट बैंक ने संथाल परगना के आदिवासी बहुल क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास में विशेष योगदान किया है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सरकार एवं बैंकों के योगदान से ऋण बोझ से मुक्त होने और आत्मनिर्भर बनने के कारण लाभान्वितों ने उन्नत उपाय और साधन जुटाने में सफलता पाई है जिसके फलस्वरूप उनके जीवनस्तर में सुधार आया है।

भारतीय बैंकिंग इतिहास में प्रथम बार 'एक सब के लिये **और सब एक के लिये' की भावना को मूर्त रूप मिला है । अब** ग्रामीण अपने खाली समय का सदुपयोग कर आंशिक बेरोजगारी को पूरक धंधों में परिश्रम कर दूर कर सके हैं जिससे उन्हें आय का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध हुआ है।

दुमका जिला के रानेश्वर प्रखण्ड में शाखा प्रबन्धक श्री प्रदीप चंद्र मैत्र ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के **लाभान्वितों का मन जीत लिया है । वे बैंक द्वारा दिये गये ऋण की** बकाया किश्तें सरलता से चुकता कर रहे हैं।

रानेश्वर प्रखण्ड में लगने वाले विभिन्न हाटों में रानेश्वर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के प्रबंधक श्री मैत्र नियमित रूप से अपने बही-खाते के साथ मौजूद मिलते हैं तथा वहीं हाट में आकर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभान्वित अपने ऋण की बकाया किश्तें उन्हें भुगतान कर दिया करते हैं। पिछले पखवारे में उन्होंने इस प्रकार 30,000 रुपये के लगभग राशि बैंक में जमा करवाने में सफलता पाई है।

श्री मैत्र की लगन के फलस्वरूप 30 मई, 1986 को रानेश्वर में एक ऋण शिविर आयोजित किया गया जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तीस अनुसूचित जाति के सदस्यों को जिनमें आधे के करीब महिलाएं थीं 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान एवं ऋण के रूप में दी गई। इन लाभान्वितों को इसके पूर्व भी इस कार्यक्रम के तहत सहायता दी जा चुकी है जिसके ऋण भाग की किश्तें अधिकतर उन्होंने चुकता कर दी हैं। ये सभी लाभान्वित रानेश्वर प्रखण्ड के कुमीरदह ग्राम के मोहलीपाड़ा के वासी हैं जिन्हें बाँस और बेंत की दस्तकारी, धान कुटाई अथवा मूढ़ी बनाने के कुटीर उद्योगों को ठोस आधार प्रदान करने अथवा विस्तार करने के लिए दूसरी बार सहायता दी गई है।

शिविर की अध्यक्षता जिला विकास पदाधिकारी श्री याकूब चम्पी ने की तथा मुख्य अतिथि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रबंध निदेशक श्री विश्वनाथ पण्डित थे। समारोह में प्रखण्ड के बीस सूत्री समिति अध्यक्ष श्री अश्विनी कुमार घोष के अलावा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इस समारोह में बहुत बड़ी संख्या में निकटवर्ती ग्रामों की असहाय निर्धन महिलाएं भी उपस्थित थीं जिन्होंने अपनी समस्याएं प्रस्तुत करते हुये समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से **लाभान्वित कराये जाने का अनुरोध किया । ट्राइसेम योजना के** तहत रानेश्वर समग्र विकास परिषद् के तत्वावधान में प्रशिक्षण पा रही श्रीमती रमा घोष ने ऊन बुनाई की मशीन दिये जाने का अनुरोध किया। निकटवर्ती सुखजोरा ग्रामवासी श्रीमती घोष के परिवार में उनकी विधवा माँ, तीन छोटे भाई और उनकी दस वर्षीया पुत्री है जिनका व्ययभार उन्हीं के कंधों पर है। उनसे विधिवत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से इस हेतु आवेदन देने को कहा गया। इसी प्रकार अन्य ग्रामवासियों की समस्याएं भी पदाधिकारियों ने सहानुभूतिपूर्वक सुनीं और उनके निदान के लिये अधीनस्थ पदाधिकारियों को स्थल पर ही आदेश दिये।

समारोह में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रबंध निदेशक श्री पण्डित ने कहा कि जिस स्वच्छता और ईमानदारी से निष्ठापूर्वक रानेश्वर शाखा के प्रबंधक श्री मैत्र ने समाज के कमजोर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास में भूमिका निभाई है वह अन्य बैंक कर्मियों के लिये अनुकरणीय है।

अध्यक्ष पद से श्री याकूब चम्पी, जिला विकास पदाधिकारी ने कहा कि समाज के निर्धनतम असहाय लोगों को आर्थिक बोझ से मुक्ति दिला कर सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर करने में भारतीय स्टेट बैंक ने अभूतपूर्व भूमिका इस प्रखण्ड में निभाई है। उन्होंने इस प्रकार के शिविर बड़े पैमाने पर लगाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। □

लड़कियां जिनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है

कमला मनकेकर

गांधी जी का एक कथन है "एक पुरुष को शिक्षित करने पर केवल एक ही व्यक्ति शिक्षित होता है लेकिन एक स्त्री को शिक्षा देने से एक पूरा परिवार शिक्षित होता है"। पिछले पचास वर्षों से हम इसको दोहरा रहे हैं लेकिन महिलाओं को शिक्षा देने के कार्यक्रमों में इस उक्ति के कार्यान्वयन के लिए किया ही क्या गया है, विकास की आवश्यकताओं पर बल देने वाले अन्य नारों की तरह यह नारा भी अर्थहीन हो गया है यद्यपि यहां यह एक मात्र महिलाओं की जरूरत न होकर पूरे राष्ट्र की आवश्यकता है। समय-समय पर विचार गोष्ठियों वाद-विवाद और बैठकों का आयोजन करके बार-बार शब्द दुहरा कर, प्रस्ताव पारित करके हम यह मान लेते हैं कि हमने राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्यों को पूरा कर दिया है।

साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त होने के 38 वर्ष बाद जब हम परमाणु युग में प्रवेश करने का दावा करते हैं और अभूतपूर्व औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी हम अपने देश **की बालिकाओं में से 70 प्रतिशत को साक्षर नहीं बना पाए हैं**। जहां एक ओर हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश की तैयारी में लगे हैं वहीं राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में 95 प्रतिशत महिलाएं अभी भी निरक्षर हैं। राजस्थान ही अकेला राज्य नहीं है। देश का हृदय कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्यों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इन राज्यों में 7.5 से 11.8 प्रतिशत के बीच महिलाएं साक्षर हैं।

संकल्प कर लेने पर कोई भी देश कई बाधाओं को लांघ लेता है। क्यूबा ने चार वर्षों के भीतर ही अपने यहां व्याप्त निरक्षरता का उन्मूलन कर दिया। और हम, संविधान बना कर उसमें सबके लिए शिक्षा की बात कह कर अभी तक **अपना लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के लिए औपनिवेशिक शासन** को उत्तरदायी ठहराते हैं। कुछ वर्ष पहले नई दिल्ली में आयोजित महिलाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इंडोनेशिया के एक शिक्षाविद ने कहा था कि उनके देश में युद्ध और संघर्ष के काल में स्कूलों को सामान्य रूप से खोले रखना कठिन हो गया था। ऐसी स्थिति में माताएं अपनी लड़कियों को समुद्र तट पर ले जाती थीं और रेत में शब्द (अक्षर) और अंक लिख कर उनको पढ़ाती थीं। यह कहा जा सकता है कि वे माताएं स्वयं शिक्षित थीं इसलिए उन्होंने अपनी लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा नहीं की।

हमारे देश में अधिकतर माता-पिता विशेषकर माताएं अशिक्षित होने के कारण अपने बच्चों विशेषकर लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझतीं। वर्ष 1975 में एक समिति द्वारा महिलाओं की स्थिति पर किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 17 प्रतिशत माता-पिता अपनी लड़कियों को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। अधिकतर लोग अर्थात 77.5 प्रतिशत व्यक्ति लड़कियों को केवल प्राथमिक शिक्षा दिए जाने के पक्ष में थे। अधिकतर लोगों की राय में पढ़ लिख जाने पर महिलाएं जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगी। यह पूछने पर कि वे महिलाओं की उच्च शिक्षा को आवश्यक क्यों नहीं **समझते उत्तर में प्रश्न किया गया कि उन्हें दफ्तर में** नौकरी करनी है? पर घर चलाने के लिए उन्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही क्या है, जीवन में लड़कियों का काम पहले ही निर्धारित हो जाता है और अच्छा खाना पकाना, सफाई एवं बच्चे पैदा करना ही उनकी शिक्षा रह जाती है।

हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शिक्षा दे

यदि अभिभावकों के विचार प्रतिगामी हैं, तो सरकार और प्रमुख महिला नेताओं ने इस स्थिति को बदलने के लिए अब तक क्या किया? गांधी जी ने लोगों को साक्षर बनाने के लिए नारा दिया था "हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शिक्षित करे" तथा ऐसा होने पर 10 वर्ष के भीतर निरक्षरता का उन्मूलन हो जायेगा। इसका अर्थ है कि इस उद्देश्य के लिये बड़े स्तर पर योजनाबद्ध प्रयासों, बड़े-बड़े कार्यक्रमों और संसाधनों की जरूरत नहीं होगी। प्रबुद्ध महिलाओं की बैठकों में अनुभवी

बांए : स्कूल जाता हुआ लड़का, घर में बैठी हुई लड़की ।
दांए : कक्षा में लड़कियां कितनी हैं ?

व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम के दिनों को याद करते हुए इस नारे को बार-बार दोहराते हैं। पर बैठक के बाद क्या होता है? वे असफलताओं की बात करते हैं और तब "हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शिक्षित करे" की बात भूल जाते हैं।

इस आलोचना का अक्सर यह उत्तर होता है कि हमने काफी कुछ किया है। हजारों नए स्कूल खोले गए हैं तथा उनमें लाखों बच्चों को भर्ती किया गया है। यह ध्यान रहे कि एक राष्ट्र के रूप में हम हमेशा ही अपनी उपलब्धियां कम करके आंकते हैं।

एक बात और—हमारी जनसंख्या के लगभग 76 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक स्कूलों में भरती हैं। लड़कों के मामले में यह संख्या लगभग शत-प्रतिशत है तथा लड़कियों के मामले में लगभग 65 प्रतिशत है। पर दूसरा पक्ष भी ध्यान योग्य है—उदाहरण के लिए राजस्थान का जालौर जिला जहां विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित **जन जाति की लड़कियां, बहुत ही कम संख्या में स्कूल में पढ़ने** आती हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यद्यपि 1961 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार स्कूलों में पढ़ रही लड़कियों की 65 प्रतिशत संख्या बहुत प्रभावपूर्ण दीखती है वहीं 42 प्रतिशत लड़कियां पहली ओर दूसरी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देती हैं।

शिक्षा आयोग ने 1966 में कहा था कि सबको शिक्षा देने का काम बच्चों के पहली कक्षा में प्रवेश से शुरू होता है और यह तभी पूरा होता है जबकि कक्षा सात तक पढ़ाई जारी रहे। वास्तव में स्कूलों में प्रवेश लेने वाली कुल लड़कियों में से केवल 30 प्रतिशत ही स्कूलों में रहती हैं बाकी शिक्षित कहलाने से पूर्व ही स्कूल छोड़ देती हैं। आश्चर्य नहीं कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सन् 2,000 तक विश्व की लगभग 54 प्रतिशत अशिक्षित जनसंख्या (15-19 वर्ष के आयु-वर्ग में) भारत में होगी। इनमें से ज्यादातर लड़कियां होंगी।

स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की दर पहली और दूसरी कक्षा के बीच 42.35 प्रतिशत, दूसरी ओर तीसरी कक्षा के बीच 12.2 प्रतिशत, तीसरी और चौथी कक्षा के बीच में 8.5 प्रतिशत तथा चौथी और पांचवी कक्षा के बीच में 7.88 प्रतिशत है। इस तरह शिक्षा आयोग द्वारा साक्षर कहलाने के लिए निर्धारित स्तर प्राप्त करने से पहले ही 70 प्रतिशत लड़कियां कक्षा पांच से पहले स्कूल छोड़ देती हैं।

कारण

सामाजिक उपेक्षा और पारिवारिक उपेक्षा के अलावा इस दुखद स्थिति के कारण क्या हैं? संक्षेप में जैसा कि पूर्णिमा मानकेकर ने हाल में ही अपने एक शोध पत्र में बताया है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता क्योंकि अपनी माताओं के घर से बाहर जाने पर उन्हें घर संभालना पड़ता है। गरीबी के कारण बच्चों को रोजगार में आना पड़ता है। अपनी लड़कियों के लिए शिक्षा उपयोगी नहीं मानना तथा महिला अध्यापिकाओं की कमी, घर से नजदीक स्कूल न होना तथा आवागमन के साधनों और सुरक्षा का अभाव भी कुछ ऐसे कारण हैं जिससे माता-पिता अपनी लड़कियों को घर से बाहर भेजना उचित नहीं समझते।

यह दावा किया जाता है कि अधिकतर बच्चों के अपने घर से एक किलोमीटर के भीतर ही प्राथमिक विद्यालय हैं तब भी 300 व्यक्तियों से कम जनसंख्या वाली लगभग 15 **बस्तियों को इनका लाभ नहीं मिलता। लड़के तो अपने घर से** निकट के किसी स्कूल में जा सकते हैं पर लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजने पर विचार नहीं किया जाता।

संसाधनों की कमी

प्राथमिक शिक्षा की एक समस्या संसाधनों की कमी है। **इसके लिए प्राप्त बजट का 90 प्रतिशत तो अध्यापकों के** वेतन और प्रशासनिक कार्यों पर व्यय हो जाता है। अखिल **भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1978) के अनुसार हमारे देश के** लगभग 10 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों के अपने भवन नहीं हैं जिससे कक्षाओं को खुले स्थान पर लगाना पड़ता है। 60 **प्रतिशत स्कूलों में ब्लैक बोर्ड (श्याम पट) तक नहीं है। ऐसे में** अच्छे उपकरणों की बात तो करना बेकार है। कई स्कूलों में न **तो पीने का पानी है और न ही शौचालय हैं। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में 79 प्रतिशत स्कूलों में बच्चों को पीने के** लिए पानी तक नहीं मिलता। माता-पिता ऐसी स्थिति में अपनी अल्प व्यस्क लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते क्योंकि **लड़के तो इधर-उधर घूम कर पानी ढूंढ ही लेंगे जबकि** लड़कियां ऐसा नहीं कर पाएंगी।

फिर भी लड़कियों को स्कूल न भेजने का एक प्रमुख कारण यह है कि उन्हें घर के कामों में अपनी मां की मदद और छोटे भाई-बहनों की देख-रेख करनी होती है। जहां स्कूल जाने के लिए लड़के को बस्ता दे दिया जाता है वहीं लड़की से रात के जूठे बर्तन साफ करने के लिए कहा जाता है। वह पानी और जलाने के लिए ईंधन लाती है, अपने छोटे भाई बहनों की देख-रेख करती है तथा यदि परिवार निर्धन है और मां बाहर काम करती है तब लड़की को घर की देख-रेख भोजन पकाने और कपड़े धोने जैसे काम भी करने पड़ते हैं। श्रमिकों की बस्तियों में स्कूल खोल देने के बावजूद भी लड़कियों को घर में ही काम करने के लिए रखा जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों का छोटी आयु में ही विवाह कर दिया जाता है। उस समय यदि वे स्कूल में पढ़ भी रही हों तो उन्हें वहां से हटा कर घर के कामों में लगा दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्कूल सह-शिक्षा वाले हैं तथा माता-पिता आठ या नौ वर्ष की हो जाने पर अपनी लड़कियों को स्कूल से हटा देते हैं।

मध्यवर्गीय शहरी परिवार आर्थिक कारणों से अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं। कामकाजी लड़की के विवाह की बेहतर संभावनाएं होती हैं क्योंकि उसके लिए दहेज की मांग कम होती है। लेकिन परिवार की आय सीमित होने पर माता-पिता लड़की को अधिक पढ़ाने की बजाय उनके विवाह पर खर्च करते हैं क्योंकि वह व्यय टाला नहीं जा सकता। इस बात को अनुभव करते हुए कि एक शिक्षित (साक्षर) महिला अपनी लड़की को स्कूल अवश्य ही भेजेगी, "सरकार की व्यापक **समन्वित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) में एक** क्रियात्मक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शामिल किया गया। पर जब कुछ क्षेत्रों में इस कार्यक्रम की प्रगति असंतोषजनक रही तो इस कार्यक्रम के कामकाज में सुधार लाने के बजाय महिला साक्षरता को ही समन्वित बाल विकास योजना से निकाल दिया गया।

लगभग तीन दशक पहले स्व. श्रीमती दुर्गा बाई देशमुख ने शिशु सदनों (क्रैचेज) को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ने का समर्थन किया था ताकि छोटे भाई-बहनों को शिशु सदनों में रख कर छोटी लड़कियों को स्कूल भेजा जा सके। इस सुविधा के लिए केवल प्रशासनिक स्तर पर ही पुनर्गठन करने की जरूरत है। देश में स्कूल, शिशु सदन तथा बालबाड़ियां हैं ही; इन्हें एक जगह रखे जाने की जरूरत है। ऐसे प्रबन्ध की उपयोगिता जग जाहिर है लेकिन इस बारे में **सुझाव आने अभी बाकी हैं।**

लड़कियों की शिक्षा का भविष्य उज्ज्वल नहीं प्रतीत होता। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यदि 1984 तक बनाई गई सभी शैक्षिक योजनाओं को लागू कर भी दिया जाए तो हमारे यहां साक्षरता की दर केवल 60 **प्रतिशत तक ही पहुंच पाएगी। महिलाओं में निरक्षरता के बने रहने के कारण ही राष्ट्रीय साक्षरता दर कम हो रही है।** □

उपयोगिता के दर्पण में नीबू

ललित शर्मा

नीबू प्रत्येक उम्र के बच्चों तथा वयस्कों के लिये उपयोगी व लाभदायक होता है। नीबू में पाये जाने वाले गुण धर्मी की प्रतिशत मात्रा निम्न है:

गुणधर्म	**प्रतिशत मात्रा (प्रति सौ ग्राम)**
प्रोटीन	1.5
कार्बोज	11.9
वसा	3.1
विटामिन 'ए'	1.6
विटामिन 'बी'	1.1
विटामिन 'सी'	63 मि.ग्राम

इनके अतिरिक्त नीबू में लोहा, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम भी काफी मात्रा में होता है। नीबू के रसायनिक तत्व शरीर से विषयुक्त पदार्थों को बाहर कर रक्त को साफ कर, त्वचा को नई क्रांति, आभा प्रदान करती है।

कब्ज होने पर सुबह रोज एक गिलास गुनगुने पानी में एक नीबू निचोड़ कर पीने से कब्ज समूल नष्ट हो जाता है। चाहें तो गर्म जल में नीबू के साथ शहद का प्रयोग चर्बी व मोटापे को दूर करने में सक्षम है।

यदि केश की जड़ें कमजोर हों केश ज्यादा झड़ते हों या उनमें खुश्की हो तो सिर धोने से पूर्व उसमें नीबू की तेल मिली मालिश कर सिर अच्छी तरह साबुन से धो लें, सिर के रोग **जैसे केश झड़ना, खुश्की इत्यादि दूर हो जायेगी ।**

यदि हाथ-पैर सर्दियों में फट गये हों तो गिलिसरीन में गुलाब जल व नीबू मिलाकर लगायें तथा प्रात: झावें से रगड़ हाथ-पैर धो लें, शरीर चमक उठेगा।

जुकाम की शिकायत होने पर दिन भर उपवास करें व गुनगुने पानी में कई बार नीबू लें, जुकाम ठीक हो जाएगा। तेज सर्दी-जुकाम में नीबू को आग पर सेक कर उसका रस रोगी को पिलायें, शीघ्र आराम होगा। दांतों को सफेद रंगत देने व चमकीला बनाने के लिए नीबू के छिलकों को सुखा व पीस कर नमक मिलाकर मंजन करें दांत मोती की तरह चमक उठेंगे।

अजवायन को नीबू जल में भिगो कर सुखा लें व खाने के बाद गर्म पानी से एक फंकी लेवें पेट के रोग दूर हो जायेंगे। यदि मुंह का स्वाद ज्वर के कारण कसैला सा हो तो नीबू को आग पर गरम कर काला नमक मिला कर चूसें, मुंह का स्वाद ठीक हो जायेगा। मुंह यदि कड़वा रहता हो तो भी नीबू में सैंधा नमक मिलाकर लेवें, कड़वाहट दूर हो जायेगी।

नीबू से विभिन्न प्रकार के अचार, पेय पदार्थ शिकन्जंवी व जूस आदि तैयार किये जाते हैं जो ग्रीष्म में उपयोगिता का प्रमुख रूप होते हैं।

इस तरह नीबू निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य का रक्षक है। प्रत्येक ऋतु में बच्चों व वयस्कों को नीबू का सेवन करना चाहिये। यदि नीबू को सभी ऋतुओं का वरदान कहा जाये तो, अतिश्योक्ति न होगी।

देखा आपने, नीबू को उपयोगिता के दर्पण में। □

शर्मा-सदन
7- मंगलपुरा स्ट्रीट
झालावाड़-326001 (राज.)

जीव-पंछी

संसार सारा घर है, प्राणी है कुटुम्ब तेरा,
वसुधा वृक्ष पर पंछी, कुछ रोज का बसेरा।
नाम रूप केवल आधार मान करके,
लोकेष्णा भंवर ने, डाला हुआ है घेरा।।
बनना बिगड़ना गुण है, इच्छाओं के निगम का
इतिहास अमर कब है, मर्ब भ्रम का अंधेरा।।
जो खोजने चले थे खुद खो गये डगर में,
रजंकण में ढूंढता है, क्यों? सांप को सपेरा।।
अतीत गल चुका है, और भविष्य भी है अंधा,
पतझड़ सा झड़ रहा है, नित स्वांस तरु तेरा।।
कुछ बोल बोल मीठे, समता के प्रेम स्वर में,
पथ गामी संग साथी, तेरा न कोई मेरा।।
अमृत क्यों भर रहा है, इन गरल पात्रों में,
'हरित' हंस होकर बन दंश विष बिखेरा।। □

जनकवि बिहारी लाल हरित
449 4, तेलीवाड़ा, शाहदरा
दिल्ली-32

बारानी खेती में लगे छोटे किसान उपेक्षित न रहें

त्रिलोकी नाथ

जल्दी से जल्दी अन्न उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए पहले योजना-निर्माताओं ने उन्हीं क्षेत्रों के कृषि विकास पर ज़ोर दिया, जहां सिचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिससे बारानी या बारिश पर निर्भर क्षेत्र की कुछ अनदेखी ही रहीं, जो कुल खेती योग्य क्षेत्र का करीब तीन चौथाई है। वहां खेतीबाड़ी की योजनाएं पहुंची ही नहीं थी। जिससे उपज कम **हुई। इसी कारण दालों और तेलों की कीमतें दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं। जब मांग बढ़ेगी और उपज नहीं बढ़ेगी तो ऐसा होना स्वाभाविक है। इस तथ्य को अब स्वीकार किया जा रहा है कि खाद्य-सुरक्षा का मोर्चा मजूबत बनाने के लिए बारानी या वर्षा पर निर्भर इलाकों पर खास ध्यान देना होगा।**

इन इलाकों में खेती बाड़ी का काम पूरे साल नहीं चलता। जब फसल का काम नहीं होता तो लोगों के पास कोई भी रोजगार नहीं रहता। एक या दो फसलों की आमदनी से ही साल भर गुजर-बसर करनी पड़ती है। परिणामस्वरूप वहां **के लोगों की आर्थिक स्थिति संकटमय ही बनी रहती है। गरीबी के कारण उन लोगों का सामान्य विकास नहीं होता, यहां तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं।**

खेती बारिश पर निर्भर होने के कारण वहां सदा अनिश्चय की स्थिति रहती है। अतिवृष्टि-अनावृष्टि या समय पर वर्षा न होने से असुरक्षा तथा जोखिम का वातावरण रहता है। यहां तक कि किसान खाद बीज जैसी जरूरी वस्तुओं पर रुपये खर्च करते हुए भी डरते रहते हैं, उन्हें भय रहता है कि गांठ की जो थोड़ी सी पूंजी है, वह भी बेकार में ही न चली जाए।

समूचे देश में कुल करीब साढ़े चौदन करोड़ हैक्टेयर जमीन पर खेती की जाती है, जिसमें से साढ़े दस करोड़ हैक्टेयर जमीन बारानी है।

रोजाना खाने मे इस्तेमाल होने वाली दालों और खाद्य तेलों की फसलें बारानी जमीन पर ही होती हैं। कपास और मूंगफली की फसलें भी बारानी क्षेत्रों में होती हैं। इसी तरह मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे अनाज भी बारिश पर निर्भर भूमि में उगाए जाते हैं।

केन्द्र सरकार ने 15 राज्यों में एक योजना चलाई है जिसके अन्तर्गत उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा और बारानी जमीन में उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में जल-विभाजक बनाने के लिए वितरण बैंक की सहायता से आजमायशी योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में 25-30 हजार हैक्टेयर ऐसी जमीन का विकास करने का कार्यक्रम था, जहां लोग कृषि के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं। पंजाब में रेंडी जल-विभाजक और भूमि विकास योजना शुरू की गई जिस पर 51 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा और इसके लिए विश्व बैंक से सहायता मिलेगी। इस योजना से आसपास के क्षेत्रों के किसान तो लाभान्वित होंगे ही, साथ ही यह एक मॉडल योजना साबित होगी।

देश में दालों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र विश्व में सबसे ज्यादा है। ये दलहनी फसलें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और ये मानव खूराक (भोजन) का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं।

परम्परा यह है कि किसान दालों की खेती प्रमुख फसल के रूप में नहीं उगाते, बल्कि ये बची हुई असिंचित भूमि पर बोनस फसल के तौर पर उगाई जाती हैं। फिर भी कृषि अर्थव्यवस्था में दलहनी फसलों का एक अलग स्थान है। ये फ़सलें हवा और मिट्टी की नमी से ही हो जाती हैं और नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में से ले लेती हैं।

जिस जमीन पर सिंचाई सुविधाएं हैं, वहां दलहनी फसलें

शुरू की जाएं, गर्मी के फसल-मौसम में सिंचाई की सुविधाओं वाले क्षेत्र में और ज्यादा ज़मीन पर मूंग और उड़द की जल्दी पकने वाली किस्में उगाई जाएं, सिंचित और असिंचित दोनों तरह की जमीन में सोयाबीन, बाजरा, कपास और गन्ना, गेहूं की फसल के साथ ही खेत में अरहर भी बोया जाए। उन्नत दलहनी बीजों का उत्पादन तथा उपयोग बढ़ाया जाए, फासफेटीय उर्वरक और राइजोबियम का इस्तेमाल किया जाए और पौध संरक्षण के उपाय अपनाए जाएं; कटाई के बाद आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की जाए तथा मूल्य समर्थन की नीति अपनाई जाए।

केन्द्र सरकार की योजना के अंतर्गत उन किसानों को सबसिडी के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है जो गर्मियों में मूंग की फसल लेते हैं। यह सहायता किसानों को प्रमाणित बीजों पर, पौध-संरक्षण के लिए उर्वरकों-उपकरणों पर, राइजोबियम कल्चर के उत्पादन और वितरण पर तथा सिंचाई शुल्क पर मिलती है। इसके अलावा किसानों में बीजों की उन्नत किस्मों को लोकप्रिय बनाने और उन्हें कृषि की आधुनिक प्रणालियां अपनाने को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को ब्रीडर फाउंडेशन बीजों के उत्पादन और प्रदर्शन के लिए सहायता दी जाती है।

1980-81 के बाद से दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र की सहायता से एक योजना चलाई गई। इससे 1981-82 में दालों का एक करोड़ पंद्रह लाख टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ। 1980-81 में एक करोड़ 6 लाख 30 हजार टन और 1979-80 में 85 लाख 70 हजार टन दालों का उत्पादन हुआ था। 1982-83 में कुछ प्रमुख दाल-उत्पादक राज्यों में सूखा और बाढ़ आने के कारण 1980-81 में करीब 240 लाख हैक्टेयर की बजाय 1981-82 में करीब 220 लाख हैक्टेयर पर ही दलहनी फसलों की खेती की गई परन्तु इसके बावजूद 1982-83 में दालों का उत्पादन 1 करोड़ 15 लाख टन हुआ और दालों के उत्पादन में इस वृद्धि के लगातार बने रहने की आशा है।

गर्मी के मौसम में मूंग की फसल लेने को अधिक लोकप्रियता मिली है। 1981 में यह कार्यक्रम उत्तरी क्षेत्र में शुरू किया गया था ताकि किसान सिंचाई की पक्की व्यवस्था के बारे में आश्वस्त होने पर रबी की फसल की कटाई के बाद मूंग उगाएं। लेकिन, अन्य **रियायतों** के अलावा 1982-83 में सिंचाई पर सबसिडी की नई योजना चलने से मध्य, दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में यह कार्यक्रम तेजी से अपनाया जा रहा है। दालों के अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध नहीं होते। 1983-84 में चना-उत्पादक राज्यों को बीस हजार क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित करने के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सबसिडी दी गई जबकि 1982-83 में करीब 12 हजार क्विंटल बीज बांटा गया था।

दालों के जल्दी पकने वाली किस्मों के सुधरे हुए बीजों को तेजी से अधिक क्षेत्र में पहुँचाने के उद्देश्य से 1981-82 में केन्द्र की सहायता से एक योजना शुरू की गई जिसमें "मिनी-किट" प्रदर्शित किए गए। 1983-84 में कुल साढ़े चार लाख मिनी-किट बांटे गए, जबकि 1982-83 में चार लाख मिनी-किट बांटे गए।

अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन और परीक्षण के लिए भी केन्द्रीय क्षेत्र में एक योजना चलाई जा रही है। इसके तहत जल्दी पकने वाले उन्नत ब्रीडर बीजों के गुणन के लिए धन दिया जाता है।

कृषि विस्तार कार्यों में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को सुधरी किस्म के बीजों के इस्तेमाल के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए भी धन दिया जाता है ताकि ये लोग आगे किसानों को इन तकनीकों की जानकारी पहुंचाएं। इसके अलावा छोटे और बहुत छोटे किसानों को उत्पादन बढ़ाने में मदद करने के लिए दालों के बीजों के आठ लाख से अधिक मिनी-किट दिए गए।

आंकड़ों से तो यही संकेत मिलता है कि सरकार बारानी खेती के विकास की ओर ध्यान दे रही है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा और कृषि-क्षमता का भरपूर उपयोग हो सकेगा। देश न केवल आत्मनिर्भर बन जाएगा, वरन् वह सुरक्षित भंडार बनाने और उसके बाद कृषि उत्पादनों का निर्यात करने की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन ऐसा न हो कि प्रभावशाली और समर्थ लोग अपने-अपने लोगों को ही फायदा पहुंचाने लगें। इन योजनाओं को राजनीतिक लाभ उठाने का माध्यम मात्र ही न बना डाला जाए। कार्यक्रम लागू करने वाले कहीं इस मूल सिद्धांत की अनदेखी ही न कर दें कि किन-किन इलाकों में योजनाएं चलानी हैं और किन-किन लोगों के लिए चलाई जानी हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय भेदभाव का शिकार भी कुछ इलाके बन सकते हैं। समय पर धन देने और साज-सामान मुहैया करने और विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराने से ही कार्यक्रम सफल होते हैं, यह भी ध्यान रखना होगा। योजनाओं के लाभ अगर सिमट कर मुट्ठी भर लोगों में ही रह गए तो भोला-किसान क्या कहेगा? वह तो इसे भाग्य की मार समझ कर फिर झेल जाएगा, पर क्या यही होता रहेगा? आशा ही नहीं वरन् विश्वास है कि अब इन लोगों के साथ सरकार अपना पूरा सहयोग देगी। □

डी-90, नारायणा विहार
नई दिल्ली-110028

संक्षिप्त समाचार

पेंशन आवेदन सेल की स्थापना

रक्षा मंत्रालय व उसके अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों की पेंशन सम्बन्धी समस्या पर विचार करने के लिए और उनके निपटारे के लिए एक विशेष सेल की स्थापना की गई है। यह सेल मंत्रालय से सम्बद्ध असैनिक व भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के आवेदनों पर की गई कार्यवाही पर नजर रखने के लिए व उसमें तालमेल रखने का काम भी करेगा। सेल पेंशनों की समस्याएं कम से कम समय में निपटाने का प्रयास करेगा।

रेल यात्रा के दौरान सुरक्षा

रेल विभाग ने रेल यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई विशेष प्रबन्ध किये हैं। इस सम्बन्ध में रेल राज्य मंत्री द्वारा अभी हाल में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। रेल सुरक्षा बल को और अधिक सुचारू बनाने के लिए उनको बेहतर इलैक्ट्रानिक उपकरण और सुरक्षा की जरूरतों से सम्बन्धित साज-**सामान** उपलब्ध कराने के साथ-साथ विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

छोटी-छोटी पनबिजली योजनाएँ

देश की बिजली प्रणाली में पन बिजली का अंश बढ़ाने के लिए सरकार कई छोटी-छोटी पनबिजली परियोजनाओं पर विचार कर रही है। देश में 7924 मैगावाट वाली कुल 37 पनबिजली परियोजनाओं का मूल्यांकन कर लिया गया है। इसके साथ ही जल्दी तैयार हो जाने वाली ताप विद्युत परियोजनाएं शुरू करने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

वितरण प्रणाली की समीक्षा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करने के लिए गठित सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। संसदीय कार्य और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री एच.के.एल. भगत इस परिषद् के अध्यक्ष होंगे। परिषद् सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज से सम्बन्धित सभी मामलों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रबन्ध के सम्बन्ध में परामर्श देगी।

गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नई योजना

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने लघु उद्योग क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना आरम्भ की है। योजना के अन्तर्गत परीक्षण एवं नियंत्रण उपकरणों की खरीद के लिए औद्योगिक इकाइयों को 80 प्रतिशत की सीमा तक पुनर्वित्त ऋण दिया जाएगा जो 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। ऋण की वापसी 5 वर्ष में 10 छमाही किस्तों में की जाएगी। यह योजना नियमित और सहकारी क्षेत्र की सभी इकाइयों पर लागू होगी।

लोक भविष्य निधि योजना में परिवर्तन

लोक भविष्य निधि के अंशदाताओं को और अधिक सुविधाएं देने के लिए इस योजना में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। निधि में जमा कराई जाने वाली राशि 40 हजार **रुपये** से बढ़ाकर 60 हजार **रुपये** कर दी गई है। अब अंशदाता अपनी सदस्यता के छठे और 15 वर्ष के बीच, हर वर्ष एक बार अपने खाते से धन निकाल सकेगा। अब अगर कोई अंशदाता बिना नामांकन किये मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारियों को एक लाख रुपये तक की राशि शपथ पत्र के आधार पर दे दी जायेगी। पहले यह व्यवस्था न होने से उत्तराधिकारी को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था।

श्रम एवं बैंक की मदद से सूखे खेत लहलहा उठे

पौराणिक कथाओं के अनुसार भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर उतार लाये थे। अपने सूखे खेतों में पानी पहुँचाने के लिए रनजंगी गाँव के आधुनिक भगीरथ नदी को अपने गाँव तक ले आने में सफल हो गये हैं।

कर्नाटक के बीजापुर जिले में रनजंगी गाँव है जहाँ खेती के लिए 500 एकड़ जमीन है। घटप्रभा नदी के जल की गड़गड़ाहट दूर तक कहीं सुनाई नहीं देती थी। इस गाँव के पहाड़ियों पर बसे खेतों की फसलें मानसून की कमी और पानी के अभाव में बार-बार सूख कर रह जाती थीं। ऐसे 47 किसानों ने जिनके पास खेती की अपनी जमीन है अपनी इस दुर्दशा पर कई बार विचार-विमर्श किया। अंत में एक योजना रंग लाई। यह योजना थी नीचे बहती घटप्रभा नदी के जल को ऊपर अपने झुलसे खेतों तक पहुँचाने की। उन्हें इस योजना की प्रेरणा निकटवर्ती गाँव सिरनगप्पा से मिली। वहाँ पानी को ऊपर उठाने की योजना पहले से ही कार्यान्वित थी।

किसानों ने स्टेट बैंक आफ इंडिया की हुबली शाखा से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने की **प्रार्थना** की और वह इस योजना को लागू कराने के लिए वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गये। लगभग 370 एकड़ भूमि को सिंचाई योजना के अन्तर्गत लाना था और इस पर कुल 25 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान था। बैंक ने 20 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में दे दिए और शेष राशि का किसानों ने स्वयं प्रबन्ध कर लिया। बैंक ने ऋण राशि पर 10 प्रतिशत ब्याज लगाया लेकिन प्रथम वर्ष उन्हें ब्याज की छूट दी गई। इस ऋण राशि की अदायगी सात समान किश्तों में करनी थी। निर्माण कार्य किसानों ने स्वयं किया।

इस योजना पर कार्य जनवरी, 1985 में शुरू किया गया और ठीक एक वर्ष बाद जनवरी, 1986 में काम पूरा हो गया। इसके अन्तर्गत नदी के एक रुख को मोड़ कर उसके पानी का बहाव हौदी की ओर किया गया, पानी खींचने के पम्प की सहायता से पानी को लगभग 1600 मीटर की ऊँचाई तक खींच एक दूसरी हौदी तक पहुँचाया गया और उसके बाद एक दूसरे पम्प से पानी को लगभग 1020 मीटर की ऊँचाई तक खींच कर गाँव में पहुँचाया गया। पहली और दूसरी हौदी के बीच पाइप बिछाई गई। एक अन्य पाइप लाइन के द्वारा पानी पम्प से जलाशय तक पहुँचाया गया। जहाँ से प्राकृतिक बहाव के द्वारा पानी खेतों तक पहुँच गया। पम्पिंग का अधिकतर काम रात्रि में किया गया ताकि पम्प अधिक कुशलता से काम कर सकें।

बाएँ (ऊपर) घाटप्रभा नदी. (नीचे) जलाशय (बीच में) पाइप लाइन डाली जा रही है, दाएं एक हौदी।

इस योजना के प्रमुख प्रेरक श्री आर.पी. चारवाड का कहना है कि पहले जहाँ इन खेतों में केवल ज्वार की फसल होती थी और उसका भी कोई भरोसा नहीं होता था, वहीं अब गन्ना, गेहूँ, मक्का और अन्य आम फसलें उगाना संभव हो गया है। अब यहाँ एक वर्ष में एक किसान ने अपने खेत में से 40 मी. टन गन्ने की फसल प्राप्त की है जिसका मूल्य 40 हजार रु. प्रति एकड़ है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की हुबली शाखा ने इस क्षेत्र के पांच अन्य गाँवों में भी इसी प्रकार की योजनाओं के लिए सहायता दी है।

लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति और बैंक से मिली सहायता से ही पानी को ऊपर खेतों में पहुँचाया जा सका और खेतों में मुरझाई फसलें फिर से लहलहाने लगीं। □

आर.एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

वृक्षारोपण जन-आन्दोलन बनें

वन महोत्सव मनाने के संदर्भ में आयोजित सप्ताह, एक से 7 जुलाई, 1986 के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने एक संदेश में वृक्षारोपण को एक जन-आन्दोलन बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि जीवन को खुशहाल बनाने के लिए वृक्षारोपण के प्रति लोगों में चेतना लाना आवश्यक है। हमें पेड़ लगाकर अपनी भू-सम्पत्ति के विनाश को रोकना है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण प्रकृति के महत्व को मान्यता देने वाली पुरानी भारतीय परम्परा का द्योतक है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई ईंधन और चारे की मांग और उससे वन के कटान पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस सबसे भूमि के उपजाऊपन में गिरावट आ रही है और बंजर भूमि बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने 37वें वन महोत्सव के अवसर पर सभी लोगों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने को कहा ताकि प्रकृति के उस उपहार को बनाये रखकर जीवन को बेहतर बनाया जा सके।

* * *

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
पंजाब नेशनल प्रैस बी-11/2 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-2
नई दिल्ली-110020 द्वारा मुद्रित